फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा (क़िस्त : 42)

Darziyon Ke Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

दरज़ियों के बारे में सुवाल जवाब

पेशकश :

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी रज़वी ज़ियाई ﷺ के मदनी मुज़ाकरे नम्बर **476** के मवाद समेत अल मदीनतुल इल्मिय्या के शो'बे "फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा" ने नई तरतीब और कसीर नए मवाद के साथ तय्यार किया है।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले।

(اَلْمُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**दरज़ियों के बारे में सुवाल जवाब**"

मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** (शो'बए फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लत़ी पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)
मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 98987 32611 • E-mail : hindibook@dawateislamihind.net

पहले इसे पढ़ लीजिये !

इन्सान की बुन्यादी ज़रूरिय्यात में से लिबास भी है जो सत्र पोशी के साथ साथ बदने इन्सानी को सर्दी और गर्मी के असरात से भी महफ़ूज़ रखता है। लिबास इन्सान के वक़ार और उस की शख़्सिय्यत का आईना दार भी होता है। इन वुजूहात की बिना पर हर एक इसे पहनने पर मजबूर है। जिस त़रह़ इ़लाज मुआ़लजे के लिये अ़लाक़े में त़बीब का होना ना गुज़ीर है इसी त़रह़ कपड़े सिलवाने के लिये मुआ़शरे में दरज़ी का होना भी बेह़द ज़रूरी है। यूं हर शख़्स के लिये कपड़ा ख़रीदने, सिलवाने और पहनने के मुआ़मलात के बारे में ज़रूरी मा'लूमात जानने की अहम्मिय्यत दोचन्द हो जाती है मगर इ़ल्मे दीन से दूरी और जहालत के बाइ़स मुसल्मानों की एक ता'दाद इस ह़वाले से बहुत से गुनाहों में मुब्तला नज़र आती है।

पेशे नज़र रिसाला 3 मुह़र्रमुल ह़राम 1434 सि.हि. को आ़लमी मदनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना में दरज़ी पेशे से मुन्सलिक इस्लामी भाइयों के बारे में होने वाले मदनी मुज़ाकरे का तह़रीरी गुलदस्ता है जिस में शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने इस शो'बे में होने वाली बे शुमार शरई़ ग़लत़ियों की न सिर्फ़ निशान देही फ़रमाई बल्कि निहायत ही अह़्सन अन्दाज़ में इस्लाह़ भी फ़रमाई है। इस मदनी मुज़ाकरे के मदनी फूलों की ख़ुश्बूओं से दुन्या भर के मुसल्मानों को महकाने के मुक़द्दस जज़्बे के तह़्त अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या का शो'बा **"फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा"** इसे काफ़ी तरामीम व इज़ाफ़ों के साथ **"दरज़ियों के बारे में सुवाल जवाब"** के नाम से पेश करने की सआ़दत ह़ासिल कर रहा है। इस रिसाले का मुत़ालआ़ करने से اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ ज़ाहिरो बात़िन की इस्लाह़, मह़ब्बते इलाही व इ़श्क़े रसूल की ला ज़वाल दौलत मिलने के साथ साथ मज़ीद ह़ुसूले इ़ल्मे दीन का जज़्बा भी बेदार होगा।

इस रिसाले में जो भी ख़ूबियां हैं यक़ीनन रब्बे रह़ीम عَزَّوَجَلَّ और उस के मह़बूबे करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की अ़त़ाओं, औलियाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام की इ़नायतों और अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की शफ़्क़तों और पुर ख़ुलूस दुआ़ओं का नतीजा हैं और ख़ामियां हों तो उस में हमारी ग़ैर इरादी कोताही का दख़्ल है।

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

(शो'बए फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा)

17 ज़ी का'दतुल ह़राम 1439 सि.हि. / 31 जूलाई 2018 ई.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

दरज़ियों के बारे में सुवाल जवाब

शैतान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (83 सफ़्हात) मुकम्मल पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ मा'लूमात का अनमोल ख़ज़ाना हाथ आएगा ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

अल्लाह पाक के मह़बूब, दानाए ग़ुयूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने बख़्शिश निशान है : **अल्लाह** पाक की ख़ातिर आपस में मह़ब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफ़ह़ा करें और नबी (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) पर दुरूदे पाक भेजें तो उन के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं ।[1]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

दरज़ी की मुआ़शरती अहम्मिय्यत

सुवाल : हमारे मुआ़शरे में एक दरज़ी की क्या अहम्मिय्यत है ?

जवाब : दरज़ी हमारे मुआ़शरे का जुज़्वे ला यन्फ़क (या'नी जुदा न होने वाला ह़िस्सा) हैं क्यूं कि लिबास ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी में से है इस लिये हर एक को दरज़ी से वासित़ा पड़ता है और इस्लाम

1 ..... مسند ابی یعلٰی، مسند انس بن مالک، ۳/۹۵، حدیث: ۲۹۵۱ دار الکتب العلمیۃ بیروت

में इस की अहम्मिय्यत इस ए'तिबार से भी बढ़ जाती है कि "सत्रे औ़रत हर ह़ाल में वाजिब है, ख़्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, बिला किसी ग़रज़े सह़ीह़ के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सत्र बिल इज्माअ़ फ़र्ज़ है यहां तक कि अगर अंधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी, अगर्चे वहां कोई न हो और उस के पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगे पढ़ी बिल इज्माअ़ न होगी।"[1] येही वज्ह है कि सो फ़ीसद मुसल्मान लिबास पहनते हैं जो ख़ुद कपड़े सीते हैं या किसी दरज़ी की ख़िदमात ह़ासिल करते हैं अलबत्ता ग़ैर मुस्लिमों में कुछ क़बीले ज़रूर ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते या मुकम्मल सत्र ढांपने को ज़रूरी नहीं समझते। इस्लाम में "मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से ले कर घुटनों के नीचे तक जब कि औ़रत के लिये चेहरे की टिक्ली, दोनों हाथों की हथेलियां और दोनों पाउं के तल्वों के ईलावा पूरे वुजूद को छुपाना फ़र्ज़ है।"[2] अलबत्ता अगर दोनों हाथ (गिट्टों तक), पाउं (टख़्नों तक) मुकम्मल ज़ाहिर हों तो एक मुफ़्ता बिह क़ौल पर नमाज़ दुरुस्त होगी।[3]

लिबास के ज़रीए़ सत्र पोशी की इब्तिदा

सुवाल : लिबास का इस्ति'माल कब से शुरूअ़ हुवा ?

1..... बहारे शरीअ़त, 1/479, ह़िस्सा : 3, मक्तबतुल मदीना
2..... बहारे शरीअ़त, 1/481, ह़िस्सा : 3, मुल्तक़त़न
3..... नमाज़ के अह़काम, स. 194, मक्तबतुल मदीना

जवाब : लिबास का आग़ाज़ ह़ज़रते सय्यिदुना आदम सफ़िय्युल्लाह عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام से हुवा। जन्नत में आप عَلَیْہِ السَّلَام का लिबास क़ुदरती नाख़ुन का बना हुवा था। जब आप عَلَیْہِ السَّلَام ने मम्नूआ़ दरख़्त का फल खाया और येह लिबास आप عَلَیْہِ السَّلَام से ले लिया गया तो आप عَلَیْہِ السَّلَام ने अपने वुजूद को पत्तों से छुपाने की तरकीब फ़रमाई जैसा कि क़ुरआने मजीद के पारह 8 **सूरतुल आ'राफ़** की आयत नम्बर 22 में ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : फिर जब उन्हों ने वोह पेड़ चखा उन पर उन की शर्म की चीज़ें खुल गईं और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे।

इस आयते मुबारका के तह़्त **तफ़्सीरे ख़ाज़िन** में है कि जन्नत में ह़ज़रते सय्यिदुना आदम सफ़िय्युल्लाह عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام का लिबास नाख़ुन का था मगर जब दरख़्त से कुछ खाया तो उन के बदन ज़ाहिर हो गए और उन्हों ने इन्जीर के पत्तों से सत्र पोशी शुरूअ़ कर दी ह़त्ता कि वोह कपड़ों की मानन्द हो गए। मज़ीद इसी में है कि येह आयते मुबारका इस बात पर दलील है कि इब्ने आदम का सत्र खुला रहना ना पसन्दीदा है। येही वज्ह है जब ह़ज़रते आदम व ह़व्वा عَلَیْہِمَا السَّلَام पर खुले सत्र की क़बाह़त (या'नी बुराई) ज़ाहिर हुई तो उन्हों ने जल्दी से अपना सत्र छुपा लिया।[1]

مدینہ

1 ..... تفسیرِ خازن، پ۸، الاعراف، تحت الآیۃ: ۲۲، ۲/۸۴ ملتقطاً المطبعۃ المیمنیۃ مصر

''आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने ना फ़रमानी की'' कहना कैसा ?

सुवाल : ''सब से पहले ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने ना फ़रमानी की'' येह कहना कैसा ?

जवाब : तिलावते क़ुरआने करीम या क़िराअते ह़दीसे पाक के सिवा अपनी त़रफ़ से ह़ज़रते सय्यिदुना आदम सफ़िय्युल्लाह عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ख़्वाह किसी नबी को मा'सियत की त़रफ़ मन्सूब करना सख़्त ह़राम बल्कि एक जमाअ़ते उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने इसे कुफ़्र बताया । चुनान्चे आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : ग़ैरे तिलावत में अपनी त़रफ़ से सय्यिदुना आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की त़रफ़ ना फ़रमानी व गुनाह की निस्बत ह़राम है। अइम्मए दीन (رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن) ने इस की तस्रीह़ फ़रमाई बल्कि एक जमाअ़ते उ़लमाए किराम (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) ने इसे कुफ़्र बताया। मौला (عَزَّوَجَلَّ) को शायां है कि अपने मह़बूब बन्दों को जिस इ़बारत से ता'बीर (या'नी जो चाहे) फ़रमाए (मगर) दूसरा कहे तो उस की ज़बान गुद्दी के पीछे से खींची जाए । لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى (پ۱۴، النحل:۶۰) (**तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ''अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) की शान सब से बुलन्द।'') बिला तश्बीह यूं ख़याल करो कि ज़ैद ने अपने बेटे अ़म्र को उस की किसी लग़्ज़िश या भूल पर मुतनब्बेह (या'नी ख़बरदार) करने, अदब देने, ह़ज़्मो अ़ज़्म व एह़तियाते अतम (या'नी आदाबो एह़तियात़) सिखाने के लिये मसलन बेहूदा, ना लाइक़,

अह़मक़ वग़ैरहा अल्फ़ाज़ से ता'बीर किया (कि) बाप को इस का इख़्तियार था। अब क्या अ़म्र का बेटा बक्र या ग़ुलाम ख़ालिद इन्हीं अल्फ़ाज़ को सनद बना कर अपने बाप और आक़ा अ़म्र को येह अल्फ़ाज़ कह सकता है ? ह़ाशा ! (हरगिज़ नहीं) अगर कहेगा (तो) सख़्त गुस्ताख़ व मरदूद व ना सज़ा व मुस्तह़िक़्क़े अ़ज़ाब व ता'ज़ीर व सज़ा होगा। जब यहां येह ह़ालत (या'नी आ़म बाप बेटों का येह मुआ़मला) है तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रीस कर के अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की शान में ऐसे लफ़्ज़ का बकने वाला क्यूंकर सख़्त शदीदो मदीद अ़ज़ाबे जहन्नम व ग़ज़बे इलाही का मुस्तह़िक़ न होगा। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى। आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت ने मज़ीद आगे चल कर येह नक़्ल फ़रमाया है कि इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह मुह़म्मद अ़ब्दरी इब्नुल ह़ाज **मदख़ल** में फ़रमाते हैं : हमारे उ़लमा رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام में से किसी नबी के बारे में ग़ैरे तिलावतो ह़दीस में येह कहे कि उन्हों ने ना फ़रमानी या ख़िलाफ़ वर्ज़ी की तो वोह काफ़िर है। इस (त़रह़ की बातों) से हम ख़ुदा की पनाह मांगते हैं।[1]

आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام गन्दुम न खाते तो.....?

सुवाल : येह कहना कैसा है कि आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام गन्दुम न खाते तो हम बद बख़्त न होते ?

जवाब : ऐसा कहना कुफ़्र है।[2]

مدینہ

1..... फ़तावा रज़विय्या, जुज़्अ : ب, 1/1119, 1120, रज़ा फ़ाउन्डेशन, मर्कज़ुल औलिया लाहोर

2..... فتاویٰ ہندیۃ، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، ۲/۲۶۵ دار الفکر بیروت

आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को कुरबानी का बकरा कहना कैसा ?

सुवाल : येह कहना कैसा कि जब **अल्लाह** पाक ने आदमियों को दुन्या में बसाना ही था तो फिर ह़ज़रते सय्यिदुना आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को कुरबानी का बकरा क्यूं बनाया ?

जवाब : ऐसा कहना सरीह़ कुफ़्र है। इस क़ौले बदतर अज़ बौल में **अल्लाह** पाक पर भी ए'तिराज़ है और ह़ज़रते सय्यिदुना आदम सफ़िय्युल्लाह عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की भी गुस्ताख़ी।

कपड़ों की सिलाई की इब्तिदा

सुवाल : दरज़ी का काम किस नबी عَلَيْهِ السَّلَام के दौर से चला आ रहा है ? नीज़ सब से पहले सिले हुए कपड़े किस ने पहने हैं ?

जवाब : दरज़ी का काम ह़ज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के दौर से हुवा और आप عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने ही सब से पहले लिबास सिया और सिला हुवा लिबास पहना। **तफ़्सीरे कबीर** में है कि ह़ज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام वोह पहली हस्ती हैं जिन्हों ने कपड़ा सिया और सिला हुवा लिबास पहना। इस से क़ब्ल लोग लिबास के लिये खालें वग़ैरा इस्ति'माल करते थे।[1] ह़ज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام जब कपड़े में सूई दाख़िल करते तो **अल्लाह** पाक की तस्बीह़ फ़रमाते और जब कपड़े से सूई बाहर निकालते तो **अल्लाह** पाक की ह़म्द बजा लाते।[2]

مدینہ

1 ..... تفسیرِ کبیر، پ۱۶، مریم، تحت الآیۃ: ۵۶، ۷/ ۵۵۰ دار احیاء التراث العربی بیروت

2 ..... تفسیر المحرر الوجیز، پ۱۷، الانبیاء، تحت الآیۃ: ۸۵، ۴/ ۹۵ دار الکتب العلمیۃ بیروت

दरज़ी का पेशा इख़्तियार करना कैसा ?

सुवाल : दरज़ी का पेशा इख़्तियार करना कैसा है ?

जवाब : दरज़ी का पेशा कस्बे ह़लाल के ज़राएअ़ में से एक उ़म्दा ज़रीआ़ है। ह़दीसे पाक में है : दरज़ी का पेशा इख़्तियार करना नेकोकार मर्दों और सूत कातना नेकोकार औ़रतों का काम है।[1] अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام ने मुख़्तलिफ़ पेशे इख़्तियार फ़रमा कर हमारे लिये सुन्नत क़ाइम फ़रमा दी लिहाज़ा हमें रिज़्क़े ह़लाल के हुसूल के लिये इन पेशों को इख़्तियार करने में किसी क़िस्म की आ़र (शर्म) मह़सूस नहीं करनी चाहिये और न ही इन पेशों या इन पेशों के इख़्तियार करने वालों को कमतर समझना चाहिये।

मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : किसी पैग़म्बर ने न सुवाल किया, न ना जाइज़ पेशे किये, हर नबी ने कोई न कोई ह़लाल पेशा ज़रूर किया। चुनान्चे आदम عَلَيْهِ السَّلَام ने अव्वलन कपड़ा बुनने का काम किया और बा'द में आप खेतीबाड़ी में मश्ग़ूल हो गए। हर क़िस्म के बीज जन्नत से साथ लाए थे उन की काश्त फ़रमाते थे। इन के सिवा सारे पेशे किये। नूह़ عَلَيْهِ السَّلَام का ज़रीअ़ए मआ़श लकड़ी का काम (बढ़ई का पेशा) था। ह़ज़रते इदरीस عَلَيْهِ السَّلَام दरज़ी गरी फ़रमाते थे। ह़ज़रते हूद और ह़ज़रते सालेह़ عَلَيْهِمَا السَّلَام तिजारत करते थे। ह़ज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام का मश्ग़ला खेतीबाड़ी था। ह़ज़रते

مدینہ

1 ..... جمع الجوامع، حرف العین مع المیم، ۵/۱۸۷، حدیث: ۱۴۴۰۹ دار الکتب العلمیۃ بیروت

www.dawateislami.net

शुऐ़ब عَلَيْهِ السَّلَام जानवर पालते और उन के दूध से मआ़श ह़ासिल करते थे। ह़ज़रते लूत़ عَلَيْهِ السَّلَام खेतीबाड़ी करते थे। ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام ने चन्द साल बकरियां चराईं, ह़ज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام ज़िरह बनाते थे। ह़ज़रते सुलैमान عَلَيْهِ السَّلَام इतने बड़े बादशाह हो कर दरख़्तों के पत्तों से पंखे और ज़म्बीलें बना कर गुज़र फ़रमाते थे। ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام सैरो सियाह़त में रहे, न कहीं मकान बनाया, न निकाह़ किया और फ़रमाते थे कि जिस ने मुझे नाश्ता दिया है वोह ही शाम का खाना भी देगा। हुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने बकरियां भी चराई हैं और ह़ज़रते ख़दीजा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا के माल की तिजारत भी फ़रमाई। ग़रज़ हर क़िस्म की ह़लाल कमाइयां सुन्नते अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام हैं, इस को आ़र जानना नादानी है।

मज़ीद फ़रमाते हैं : उ़लमाए किराम ने फ़रमाया कि जाइज़ पेशों में तरतीब है कि बा'ज़ से बा'ज़ आ'ला हैं। जिन पेशों से दीनो दुन्या की बक़ा है दूसरे पेशों से अफ़्ज़ल हैं। चुनान्चे (1) बेहतर सन्अ़त दीनी तस्नीफ़ और किताब है कि इस से क़ुरआनो ह़दीस और सारे दीनी उ़लूम की बक़ा है। (2) फिर आटे की पिसाई और चावल की साफ़ कराई कि इस से नफ़्से इन्सान की बक़ा है। (3) फिर रूई धुनाई, सूत कताई और कपड़ा बुनना है कि इस से सत्र पोशी है। (4) फिर दरज़ी गरी का पेशा भी कि इस का भी येही फ़ाएदा है। (5) फिर रोशनी का सामान बनाना कि दुन्या को इस की भी ज़रूरत है। (6) फिर मे'मारी, ईंट बनाना (भट्टा) और चूने की तय्यारी है कि इस से शह्र की आबादी है।

रही ज़र गरी, नक़्क़ाशी, कारचौबी, ह़ल्वा साज़ी, इत्र बनाना येह पेशे जाइज़ हैं मगर इन का कोई ख़ास दरजा नहीं क्यूं कि फ़क़त ज़ीनत के सामान हैं। खुलासा येह है कि बेकार रहना बड़ा जुर्म है और ना जाइज़ पेशे करना इस से बढ़ कर जुर्म, रब तआ़ला ने हाथ पाउं वग़ैरा बरत्ने के लिये दिये हैं न कि बेकार छोड़ने के लिये।[1]

दरज़ी किसे कहेंगे ?

सुवाल : दरज़ी किसे कहेंगे ?

जवाब : "दरज़ी" उसी शख़्स को कहा जाएगा जिस ने येह काम बत़ौरे पेशा इख़्तियार किया हो या'नी उस का ज़रीअ़ए मआ़श ही दरज़ी का पेशा हो। मह़ज़ अपने कपड़ों में पैवन्द लगा लेने या ज़रूरतन अपने लिये एकआध कपड़ा सी लेने से कोई शख़्स दरज़ी नहीं कहला सकता जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम फ़ख़्रुद्दीन राज़ी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى फ़रमाते हैं : कोई काम ऐसा शख़्स सर अन्जाम दे जो उस के मुनासिब नहीं या उस का काम नहीं जैसे बादशाह कपड़ा सीता है तो येह ज़रूर कहा जाएगा कि बादशाह ने कपड़ा सिया मगर उसे दरज़ी नहीं कहेंगे। इसी त़रह़ अगर कोई शख़्स किसी शै पर कशीदा कारी करता है ह़ालां कि येह उस का पेशा नहीं है तो यूं कहेंगे कि वोह कशीदा कारी करता है मगर उसे कशीदा कार नहीं कह सकते।[2]

مدینہ

1..... इस्लामी ज़िन्दगी, स. 143, 145, मक्तबतुल मदीना

2..... تفسیر کبیر، پ۲۱، لقمان، تحت الآیۃ: ۳۳، ۹/۱۳۳

www.dawateislami.net

येही वज्ह है कि ह़ज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلَيْهِ السَّلَام के लिये ख़य्यात़ (या'नी दरज़ी) का लफ़्ज़ किताबों में आया है लेकिन हमारे प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के लिये किसी रिवायत में येह अल्फ़ाज़ नहीं मिलते ह़ालां कि आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ख़ुद अपने मुबारक कपड़े सी लेते थे जैसा कि उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا से सुवाल किया गया कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم घर में क्या काम किया करते थे ? तो आप رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا ने फ़रमाया : आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ख़ुद अपने कपड़े सी लेते, पापोश मुबारक गांठ लेते और वोह काम कर लेते थे जो मर्द अपने घरों में करते हैं।[1]

दरज़ी का तज़्किरा

सुवाल : क्या क़ुरआन व ह़दीस में दरज़ी या इस के पेशे का कोई तज़्किरा मिलता है ?

जवाब : अ़रबी ज़बान में दरज़ी के लिये "ख़य्यात़" का लफ़्ज़ इस्ति'माल होता है जब कि कपड़े सीने को "ख़ियात़त" कहा जाता है। इसी त़रह़ धागे के लिये "ख़ैत़" और सूई के लिये "ख़ियात़" का लफ़्ज़ इस्ति'माल होता है जैसा कि क़ुरआने मजीद में है :

وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (پ۲، البقرة:۱۸۷)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिये ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा (धागा) सियाही के डोरे से पौ फट कर।

مدینہ

1 ..... مسندِ امام احمد، مسند السیدۃ عائشۃ رضی اللہ عنہا، ۹/۴۳۶، حدیث: ۲۴۹۵۷ دار الفکر بیروت

www.dawateislami.net

इसी त़रह़ पारह 8 **सूरतुल आ'राफ़** की आयत नम्बर 40 में इर्शाद होता है :

وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और न वोह जन्नत में दाख़िल हों जब तक सूई के नाके ऊंट न दाख़िल हो।

बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में एक दरज़ी का तज़्किरा मिलता है कि जिस ने हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की दा'वत की और आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस की दा'वत को क़बूल फ़रमाया। चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه बयान फ़रमाते हैं कि एक दरज़ी ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की खाने की दा'वत की। मैं भी हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ गया। जव की रोटी और शोरबा हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सामने लाया गया जिस में कद्दू और ख़ुश्क किया हुवा नमकीन गोश्त था। खाने के दौरान मैं ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को देखा कि पियाले के कनारों से कद्दू की क़ाशें तलाश कर रहे हैं, इसी लिये मैं उस दिन से कद्दू पसन्द करने लगा।[1]

दरज़ी पेशा के बारे में अच्छी अच्छी निय्यतें

सुवाल : निय्यत की अहम्मिय्यत बयान फ़रमा दीजिये, नीज़ दरज़ी क्या क्या अच्छी निय्यतें कर सकता है ?

जवाब : बुख़ारी शरीफ़ की सब से पहली ह़दीसे पाक है कि हादिये राहे

1 ..... بخاری، کتاب الاطعمة، باب المرق، ۳/۵۳۷، حدیث: ۵۴۳۶ دار الکتب العلمیة بیروت

नजात, सरवरे काएनात صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات या'नी आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है।[1] बहुत सारे काम मुबाह़ होते हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जोह दी जाए और उन में अच्छी अच्छी निय्यतें कर ली जाएं तो उन मुबाह़ कामों को इबादत बनाया जा सकता है। अच्छी निय्यत के भी क्या कहने ! अच्छी निय्यत तो बन्दे को जन्नत में दाख़िल करेगी। चुनान्चे नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने जन्नत निशान है : اَلنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا الْجَنَّةَ या'नी अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाख़िल करेगी।[2] दरज़ी को चाहिये कि अपने काम के ह़स्बे ह़ाल अच्छी अच्छी निय्यतें करे और दौराने काम उन निय्यतों को पेशे नज़र भी रखे। जितनी निय्यतें ज़ियादा होंगी उतना ही सवाब भी ज़ियादा होगा। अच्छी निय्यतों में से चन्द निय्यतें पेशे ख़िदमत हैं :

❁ सब से पहले येह निय्यत करे कि मैं **अल्लाह** पाक की रिज़ा पाने, अपने मुसल्मान भाइयों की ह़ाजत पूरी करने और उन के लिये आसानी पैदा करने के लिये येह काम कर रहा हूं। यक़ीनन रिज़ाए इलाही के ह़ुसूल के लिये मुसल्मानों की ह़ाजात को पूरा करना और उन्हें ख़ुश करना पसन्दीदा और बाइ़से अज्रो सवाब है। ❁ कपड़े सीने का आग़ाज़ चूंकि ह़ज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने किया था लिहाज़ा उन की सुन्नत पर अ़मल करने की निय्यत करे। ❁ कपड़े सीना भी रिज़्क़े ह़लाल के ज़राएअ़ में से एक उ़म्दा ज़रीआ़ है लिहाज़ा इस पेशे से रिज़्क़े

1 ..... بخاری، کتاب بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی...الخ، ۱/۶، حدیث: ۱

2 ..... جامع صغیر، ص۵۵۷، حدیث: ۹۳۲۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت

www.dawateislami.net

ह़लाल के हुसूल की निय्यत करे । ❁ सुन्नत के मुत़ाबिक़ लिबास सीने और ग़ैर शर्ई लिबास सीने से बचने की निय्यत करे (येह निय्यत उसी सूरत में दुरुस्त होगी जब कि दरज़ी ग़ैर शर्ई लिबास न सीता हो और जो सीने को कहे उसे मन्अ़ कर दे) । ❁ औ़रतों का नाप न लेने की निय्यत करे कि औ़रतों का नाप लेने में उन के बदन को देखना और छूना पड़ता है जो कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ❁ गाहक से किये हुए वा'दे की पासदारी करते हुए, टाल मटोल से बचते हुए मुक़र्ररा वक़्त पर सूट तय्यार कर के देने की निय्यत करे । ❁ दौराने काम गाने बाजे सुनने से बचते हुए ज़िक्रो दुरूद से अपने दिल को बहलाने की निय्यत करे । ❁ घटिया मटेरियल लगा कर नाक़िस काम करने से बचने की निय्यत करे । ❁ काम के दौरान भी नमाज़े बा जमाअ़त का एहतिमाम करने की निय्यत करे। ❁ कपड़ा बच जाने की सूरत में ख़ुद रख लेने के बजाए मालिक को वापस लौटाने की निय्यत करे। इन के इ़लावा और भी अच्छी अच्छी निय्यतें की जा सकती हैं ।

मेरा हर अ़मल बस तेरे वासित़े हो

कर इख़्लास ऐसा अ़त़ा या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

मंगल के दिन सीने के लिये कपड़े काटना कैसा ?

सुवाल : कपड़े सिलाने के लिये दरज़ी को किस दिन देने चाहिएं ? नीज़ मंगल के दिन सीने के लिये कपड़े काटना कैसा है ?

जवाब : कपड़े सिलाने के लिये किसी भी दिन दरज़ी को दिये जा सकते हैं, अलबत्ता मंगल के दिन कपड़े काटने से बचना चाहिये लेकिन अगर किसी ने काट दिये तो येह ना जाइज़ भी नहीं। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن की ख़िदमते बा बरकत में इसी त़रह़ का सुवाल हुवा कि "नया कपड़ा या जूता इस्ति'माल करने पर क्या पढ़े और कौन से रोज़ इस्ति'माल करे नीज़ दरज़ी को कौन से रोज़ सिलने को दे ?" तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : بِسْمِ الله कह कर पहने और पहन कर पढ़े : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ सब ता'रीफ़ और सिताइश उस **अल्लाह** तआ़ला के लिये है जिस ने मुझे येह लिबास पहनाया और मेरी कुव्वतो त़ाक़त के बिग़ैर मुझे इस के पहनने की तौफ़ीक़ बख़्शी।[1] और कपड़े के इस्ति'माल या दरज़ी को देने के लिये कोई ख़ुसूसिय्यत नहीं। हां ! मंगल के दिन कपड़ा क़त़्अ़ न किया जाए। मौला अ़ली كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ने फ़रमाया : जो कपड़ा मंगल के रोज़ क़त़्अ़ किया जाए वोह जले या डूबे या चोरी हो जाए।[2] सिलाई करने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को चाहिये कि वोह मंगल के दिन कपड़े काटने के बजाए किसी और दिन काट लिया करें।

दुकानों में चेहरे वाली डमी लगाना कैसा ?

सुवाल : दुकानों में चेहरे वाली डमी लगाना कैसा है ?

مدینہ

1 .....مستدرک حاکم، کتاب اللباس، الدعاء عند فراغ الطعام، ۵/۲۷۰-۲۷۱، حدیث: ۷۴۸۶ دار المعرفۃ بیروت

2 ..... फ़तावा रज़विय्या, 22/184

www.dawateislami.net

जवाब : ऐसी मर्दाना डमी जिस का चेहरा बिल्कुल मिटा हुवा हो या बिल्कुल हमवार (Plain) हो तो येह जाइज़ है जब कि औ़रत की बिग़ैर चेहरे की भी डमी न लगाई जाए क्यूं कि उस में औ़रत के बा'ज़ आ'ज़ा का उभार भी नुमायां होता है जो कि बद निगाही का बाइ़स है लिहाज़ा औ़रत की बिग़ैर चेहरे की डमी की भी इजाज़त नहीं, अलबत्ता hanger वग़ैरा पर औ़रतों के कपड़े लटकाने में ह़रज नहीं। इसी त़रह़ दुकानों में नुमाइश के लिये मुख़्तलिफ़ लिबास पहने हुए मॉडल्ज़ की तसावीर लगाई जाती हैं येह भी ना जाइज़ हैं अलबत्ता औ़रतों की तसावीर से ख़ाली सिर्फ़ कढ़ाई या गले वग़ैरा के मुख़्तलिफ़ नमूनों या डीज़ाइनों के तस्वीरी अल्बम रखे हों तो उन में ह़रज नहीं।

बना दे मुझे नेक नेकों का सदक़ा

गुनाहों से हर दम बचा या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

काम की टेन्शन की वज्ह से नमाज़ रोज़ा तर्क करना कैसा ?

सुवाल : रमज़ानुल मुबारक और बक़र ईद के मौक़अ़ पर काम के बोझ (Burdon) की वज्ह से नमाज़ और रोज़े छोड़ देना कैसा है ?

जवाब : काम के बोझ (Burdon) की वज्ह से नमाज़ व रोज़ा तर्क कर देना इन्तिहाई ख़त़रनाक मुआ़मला है। ईदुल फ़ित्र हो या ईदुल अज़्ह़ा, अपनी शादी हो या किसी अ़ज़ीज़ की, किसी की फ़ौतगी हो या अपने ही घर में किसी की मय्यित, किसी भी सूरत में नमाज़ में सुस्ती करने या क़ज़ा कर देने की इजाज़त

नहीं । नमाज़ों को ज़ाएअ़ करने वालों के मुतअ़ल्लिक़ इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾ (پ۱۶، مریم: ۵۹)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो उन के बा'द उन की जगह वोह ना ख़लफ़ आए जिन्हों ने नमाज़ें गंवाईं (ज़ाएअ़ कीं) और अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हुए तो अ़न्क़रीब वोह दोज़ख़ में ग़य का जंगल पाएंगे ।

इस आयते मुक़द्दसा के तह़्त मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ الۡحَنَّان फ़रमाते हैं : "इस से मा'लूम हुवा कि नमाज़ों में सुस्ती तमाम गुनाहों की जड़ है, इस सुस्ती की कई सूरतें हैं : नमाज़ न पढ़ना, बे वक़्त पढ़ना, बिला वज्ह बिग़ैर जमाअ़त पढ़ना, हमेशा न पढ़ना, रियाकारी से पढ़ना वग़ैरा ।" इसी त़रह़ पारह 30 **सूरतुल माऊ़न** की आयत नम्बर 4 और 5 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ﴿۴﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ﴿۵﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं ।

इस आयते मुबारका के तह़्त **तफ़्सीरे नूरुल इरफ़ान** में है : "नमाज़ से भूलने की चन्द सूरतें हैं : कभी न पढ़ना, पाबन्दी से न पढ़ना, बिला वज्ह मस्जिद में न पढ़ना, सह़ीह़ वक़्त पर न पढ़ना, बिला वज्ह बिग़ैर जमाअ़त पढ़ना, नमाज़ सह़ीह़ त़रीक़े से अदा न करना, शौक़ से न पढ़ना, समझ बूझ कर अदा

न करना, कसल व सुस्ती, बे परवाई से पढ़ना । इसी लिये फ़ुक़हा फ़रमाते हैं कि आस्तीन चढ़ा कर, रूमाल कांधे या सर पर लटका कर, बटन खुले छोड़ कर नमाज़ पढ़ना मन्अ़ है कि येह सुस्ती और बे परवाई की अ़लामत है ।''

नमाज़ रोज़ा किसी सूरत भी तर्क न कीजिये

रमज़ानुल मुबारक में दरज़ियों के लिये बड़ी आज़्माइश होती है, बहुत से दरज़ी तरावीह़ बल्कि ईद की नमाज़ से भी मह़रूम रहते होंगे, इसी त़रह़ रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अय्याम में मिठाइयां बनाने वाले भी नमाज़ रोज़े से मह़रूम हो जाते होंगे । इन लोगों को चाहिये कि अपने काम में तख़्फ़ीफ़ (या'नी कमी) कर दें मगर नमाज़ रोज़ा किसी सूरत में भी तर्क न करें । अगर कोई शख़्स आधा घन्टा भी कोई ऐसा मेह़नत वाला काम करता है जिस की वज्ह से उस के लिये रोज़ा रखना दुश्वार हो जाता है तो वोह आधा घन्टा भी ऐसा मेह़नत वाला काम न करे बल्कि आराम करे और रोज़ा रखे कि रोज़ा फ़र्ज़ है । येही मुआ़मला नमाज़ का है कि लाखों रुपै के गाहक छूटते हों परवा न करें, वक़्त पर नमाज़ अदा करें कि नमाज़ फ़र्ज़ है और अगर कोई शर्ई उ़ज़्र नहीं तो जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करें कि बा जमाअ़त नमाज़ अदा करना वाजिब है । गाहक हाथ से निकल जाने के ख़याल से या काम के लालच में जमाअ़त तर्क करने की इजाज़त नहीं ।

कांटा मेरे जिगर से ग़मे रोज़गार का
यूं खींच लीजिये कि जिगर को ख़बर न हो

(ह़दाइक़े बख़्शिश)

याद रखिये ! जान बूझ कर एक नमाज़ भी क़ज़ा कर देना गुनाहे कबीरा, ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। चुनान्चे सरदारे दो जहान, मह़बूबे रह़मान صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : जो जान बूझ कर नमाज़ छोड़ दे उस का नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिस से वोह दाख़िल होगा।[1] आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : उ़ज़्रे शर्ई के बिग़ैर इतनी ताख़ीर कि वक़्त चला जाए और क़ज़ा करनी पड़े बेशक ह़राम, फ़िस्क़ और कबीरा गुनाह है। उस को अ़ज़ाब देना या बख़्श देना **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) की मशिय्यत (या'नी मरज़ी) के सिपुर्द है और कोई मुसल्मान दोज़ख़ में दुन्या की उ़म्र या'नी सात हज़ार साल से ज़ियादा नहीं रहेगा।[2]

दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ 1250 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, "बहारे शरीअ़त" जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 700 पर है : बिला उ़ज़्रे शर्ई नमाज़ क़ज़ा कर देना बहुत सख़्त गुनाह है, उस पर फ़र्ज़ है कि उस की क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे, तौबा या ह़ज्जे मक़्बूल से गुनाहे ताख़ीर मुआ़फ़ हो जाएगा।[3] तौबा जब ही सह़ीह़ है कि क़ज़ा पढ़ ले। उस को तो अदा न करे, तौबा किये जाए, येह तौबा नहीं कि वोह नमाज़ जो इस के ज़िम्मे थी उस का न पढ़ना

مدینہ

1 ..... کنز العمّال، الجزء: ۷، ۴/۱۳۲، حدیث: ۱۹۰۸۶ دار الکتب العلمیة بیروت

2 ..... फ़तावा रज़विय्या, 5/115

3 ..... درمختار، کتاب الصلوٰة، باب قضاء الفوائت، ۲/۶۲۶ دار المعرفة بیروت

www.dawateislami.net

तो अब भी बाक़ी है और जब गुनाह से बाज़ न आया, तौबा कहां हुई ।[1] ह़दीस में फ़रमाया : गुनाह पर क़ाइम रह कर इस्तिग़्फ़ार करने वाला उस के मिस्ल है जो अपने रब (عَزَّوَجَلَّ) से ठट्ठा (या'नी मज़ाक़) करता है ।[2]

सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का नमाज़ का एहतिमाम

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह बात तै शुदा है कि नमाज़ अपने वक़्त पर अदा करनी है। हमारे सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان नमाज़ का किस क़दर एहतिमाम फ़रमाते थे चुनान्चे अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ पर मस्जिदे नबवी शरीफ़ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام में ऐन नमाज़ की ह़ालत में क़ातिलाना ह़म्ला हुवा और नाफ़ के नीचे इतने शदीद ज़ख़्म आए कि आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ को जो मशरूब वग़ैरा पिलाया जाता आंतों के रास्ते बाहर आ जाता, इस क़दर शदीद ज़ख़्मी होने के बा वुजूद जब आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से अ़र्ज़ की गई : अमीरुल मुअमिनीन ! नमाज़ (का वक़्त है) । फ़रमाया : जी हां ! सुनिये ! जो शख़्स नमाज़ को ज़ाएअ़ करता है उस का इस्लाम में कोई ह़िस्सा नहीं । फिर आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने शदीद ज़ख़्मी होने की ह़ालत में भी नमाज़ अदा फ़रमाई ।[3] इसी त़रह़ सय्यिदुश्शुहदा, इमामे आ़ली मक़ाम ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे हुसैन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने मैदाने करबला में सज्दे की ह़ालत में

مدینہ

1 ..... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب قضاء الفوائت، ۲/۶۲۷ ملخصاً دارالمعرفۃ بیروت

2 ..... شعب الایمان، باب فی معالجۃ کل ذنب بالتوبۃ، ۵/۴۳۶، حدیث: ۷۱۷۸ دارالکتب العلمیۃ بیروت

3 ..... کتاب الکبائر، الکبیرۃ الرابعۃ فی ترک الصلاۃ، ص ۲۲ پشاور

www.dawateislami.net

अपना सरे मुबारक तन से जुदा करा दिया लेकिन इस ह़ाल में भी जैसे बन पड़ा नमाज़ की सूरत इख़्तियार फ़रमाई ।

शमशीर बकफ़ क़ातिल हो खड़ा और कोई रहे सज्दे में पड़ा
कहती थी ज़मीने कर्बो बला इस शान का सज्दा खेल नहीं
मह़ब्बत का दा'वा तो आसां है करना मगर नज्म मुश्किल है उल्फ़त में मरना
हुसैन इब्ने ह़ैदर की मानन्द यारो ! मह़ब्बत में सर को कटा कर तो देखो

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ हम ह़ज़रते सय्यिदुना फ़ारूक़े आ'ज़म और इमामे आ़ली मक़ाम ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम हुसैन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا के मानने वाले हैं। हमें इन के नक़्शे क़दम पर चलते हुए नमाज़ का ख़ूब एहतिमाम करना है । जिस त़रह़ उन्हों ने किसी ह़ाल में नमाज़ नहीं छोड़ी, हम भी चन्द पैसों की ख़ात़िर नमाज़ नहीं छोड़ेंगे बल्कि मदनी इन्आ़मात पर अ़मल करते हुए पांचों नमाज़ें मस्जिद की पहली सफ़ में तक्बीरे ऊला के साथ बा जमाअ़त अदा करने की कोशिश करेंगे, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ।

मैं पांचों नमाज़ें पढ़ूं बा जमाअ़त
हो तौफ़ीक़ ऐसी अ़त़ा या इलाही
मैं पढ़ता रहूं सुन्नतें वक़्त ही पर
हों सारे नवाफ़िल अदा या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

हमारे बच्चे कहां से खाएंगे ?

सुवाल : बा'ज़ लोग अपनी कारोबारी मसरूफ़िय्यत की वज्ह से नमाज़ रोज़ा तर्क कर देते हैं और कहते सुनाई देते हैं कि "बाल बच्चों के लिये कमाना भी इ़बादत है, अगर हम नमाज़ रोज़े में लग

जाएंगे तो हमारे बच्चे कहां से खाएंगे ?" उन का इस त़रह़ कहना कैसा है ?

जवाब : बाल बच्चों के लिये रिज़्क़े ह़लाल कमाना इ़बादत है इस का इन्कार नहीं, मगर इस मसरूफ़िय्यत की वज्ह से नमाज़ रोज़ा तर्क करने की इजाज़त नहीं । ह़दीसे पाक में है : मुसल्मान के लिये फ़राइज़े ख़ुदावन्दी (या'नी नमाज़, रोज़ा, ह़ज और ज़कात वग़ैरा) के बा'द रिज़्क़े ह़लाल त़लब करना भी फ़र्ज़ है ।[1] मा'लूम हुवा कि नमाज़ रोज़े की अदाएगी रिज़्क़े ह़लाल कमाने पर मुक़द्दम है, लिहाज़ा कामकाज की कैसी ही मसरूफ़िय्यत हो उसे उ़ज़्र बना कर नमाज़ रोज़ा तर्क करने की इजाज़त नहीं । **रही** बात येह कि "अगर हम नमाज़ रोज़े में लग जाएंगे तो हमारे बच्चे कहां से खाएंगे ?" तो याद रखिये ! **अलाह** عَزَّوَجَلَّ की इत़ाअ़त करने से बन्दा भूका नहीं मरता और न ही **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उसे बे यारो मददगार छोड़ देता है बल्कि उस के लिये राहें आसान फ़रमा देता है । इसी त़रह़ के एक सुवाल के जवाब में आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : रिज़्क़ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के ज़िम्मे है जिस ने हवाए नफ़्स (या'नी नफ़्सानी ख़्वाहिशात) की पैरवी कर के त़रीक़ए ह़राम इख़्तियार किया उसे वैसे ही पहुंचता है और जिस ने ह़राम से इज्तिनाब और (**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की इत़ाअ़त करते हुए) ह़लाल की त़लब की उसे रिज़्क़े ह़लाल पहुंचाते हैं । इमाम सुफ़्यान सौरी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

مدینہ

1 ..... شعب الایمان، باب فی حقوق الاولاد والاھلین، ۶/۴۲۰، حدیث: ۸۷۴۱

www.dawateislami.net

ने एक शख़्स को नोकरिये हुक्काम (या'नी हुक्काम के हां काम करने) से मन्अ़ फ़रमाया। (उस ने) कहा : बाल बच्चों को क्या करूं ? फ़रमाया : ज़रा सुनियो ! येह शख़्स कहता है कि मैं ख़ुदा की ना फ़रमानी करूं जब तो मेरे अहलो इ़याल को रिज़्क़ पहुंचाएगा और इत़ाअ़त करूं तो बे रोज़ी छोड़ देगा।[1]

मर्दों के लिये औ़रतों का नाप लेना कैसा ?

सुवाल : औ़रतों का नाप लेना कैसा है ?

जवाब : मर्दों (Gents) के लिये अजनबी औ़रतों (Ladies) का नाप लेना जाइज़ नहीं क्यूं कि नाप लेने में उन के बदन को देखना और छूना पड़ेगा जो कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर किसी ने इस त़रह़ नाप लिया है तो वोह तौबा करे और आयिन्दा इस से इज्तिनाब करे। इसी त़रह़ जो औ़रतें अजनबी दरज़ियों के पास जा कर अपना नाप देने के लिये अपने बदन को छूने की इजाज़त देती हैं वोह गुनहगार और जहन्नम की ह़क़दार हैं और अगर घर के मर्दों मसलन शौहर और बाप वग़ैरा को मा'लूम है इस के बा वुजूद वोह ग़ैरत नहीं खाते तो वोह भी गुनहगार हैं। ह़दीसे पाक में ऐसों को दय्यूस[2] का लक़ब दिया गया है और दय्यूस के लिये सख़्त वईद है। चुनान्चे नबियों के सुल्त़ान, रह़मते आ़लमिय्यान صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : तीन शख़्स

مدینہ

1..... फ़तावा रज़विय्या, 23/528

2..... जो अपनी औ़रत या अपनी किसी मह़रम पर ग़ैरत न रखे वोह दय्यूस है।

(دُرِّ مُختار، کتاب الحدود، ۶/۱۱۳)

कभी जन्नत में दाख़िल न होंगे दय्यूस, मर्दानी वज़्अ़ बनाने वाली औ़रत और शराब नोशी का आ़दी ।[1]

ह़दीसे पाक में येह जो फ़रमाया गया कि "कभी जन्नत में दाख़िल न होंगे" यहां इस से त़वील अ़र्से तक जन्नत में दाख़िले से मह़रूमी मुराद है क्यूं कि जो भी मुसल्मान अपने गुनाहों की पादाश में مَعَاذَاللہ दोज़ख़ में जाएंगे वोह बिल आख़िर जन्नत में ज़रूर दाख़िल होंगे मगर याद रहे कि एक लम्ह़े का करोड़वां ह़िस्सा भी जहन्नम का अ़ज़ाब कोई बरदाश्त नहीं कर सकता लिहाज़ा हमें हर दम हर गुनाह से बचने की कोशिश और जन्नतुल फ़िरदौस में बे ह़िसाब दाख़िले की दुआ़ करते रहना चाहिये ।[2]

बड़ी कोशिशें की गुनह छोड़ने की
रहे आह ! नाकाम हम या इलाही
मुझे सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ दे दे
पए ताजदारे ह़रम या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

इन क़बाह़तों से बचने के लिये चन्द त़रीक़े पेशे ख़िदमत हैं : (1) इस त़रह़ के काम इस्लामी बहनें ख़ुद सीख लें और अपने घरों पर ही इस की तरकीब बनाया करें । (2) इस्लामी बहनें किसी इस्लामी बहन ही से अपने कपड़े सिलाने की तरकीब बनाएं । (3) अगर ऐसा मुम्किन न हो तो घर की ख़ातून नाप ले और कोई

مدینہ

1 ..... مجمع الزوائد، کتاب النکاح، باب فیمن یرضی لاھلہ بالخبث، ۴/۵۹۹، حدیث: ۷۷۲۲، دار الفکر بیروت

2 ..... पर्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 65, 66, मक्तबतुल मदीना

मह़रम जा कर दरज़ी को सिलवाने के लिये दे आए। (4) या कोई पुराना लिबास किसी मह़रम के ज़रीए़ दरज़ी को दे दिया जाए जिस के मुत़ाबिक़ वोह नया लिबास तय्यार कर दे। इस्लामी बहनों को चाहिये कि बात बात पर घर से बाहर न दौड़ती फिरें। सिर्फ़ शर्ई मस्लह़त की सूरत में पर्दे की तमाम कुयूदात के साथ बाहर निकलें।

करें इस्लामी बहनें शर्ई पर्दा
अ़त़ा इन को ह़या शाहे उमम हो

(वसाइले बख़्शिश)

एक दरज़ी का दूसरे की ख़ामियां बयान करना कैसा ?

सुवाल : क्या एक दरज़ी दूसरे दरज़ी की ख़ामियां बयान कर सकता है ?

जवाब : जी नहीं। किसी मुसल्मान के अन्दर मौजूद ख़ामी या बुराई को बिला इजाज़ते शर्ई पीठ पीछे बयान करना "ग़ीबत" कहलाता है जो कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कुरआने मजीद में ग़ीबत करने की मुमानअ़त आई है और येह मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ़ है। चुनान्चे इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

(پ۲۶، الحجرات: ۱۲)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और एक दूसरे की ग़ीबत न करो क्या तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए तो येह तुम्हें गवारा न होगा और **अल्लाह** से डरो बेशक **अल्लाह** बहुत तौबा क़बूल करने वाला मेह्रबान है।

अगर वोह ख़ामी या बुराई जिस को बयान किया गया वोह उस के अन्दर मौजूद ही न हो और इस दरज़ी ने बिला वज्ह उस की बुराई कर डाली तो येह बोहतान है जो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। चुनान्चे सरकारे आ़ली वक़ार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस्तिफ़्सार फ़रमाया : क्या तुम जानते हो ग़ीबत क्या है ? अ़र्ज़ की गई : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ और उस का रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बेहतर जानते हैं। फ़रमाया : (ग़ीबत येह है कि) तुम अपने भाई का इस त़रह़ ज़िक्र करो जिसे वोह ना पसन्द करता है। अ़र्ज़ की गई : अगर वोह बात उस में मौजूद हो तो ? फ़रमाया : जो बात तुम कह रहे हो अगर वोह उस में मौजूद हो तो तुम ने उस की ग़ीबत की और अगर उस में न हो तो तुम ने उस पर बोहतान बांधा।[1]

येह भी हो सकता है कि जिस ख़ामी या बुराई को बयान किया गया हो वोह उस से तौबा कर चुका हो अब उस के तौबा करने के बा'द उस की बुराई को बयान करना और उसे दूसरों की नज़र में ज़लीलो रुस्वा करना येह भी गुनाह है। चुनान्चे नबिय्ये अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने मुअ़ज़्ज़म है : जिस ने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर आ़र दिलाई (या'नी शरमिन्दा किया) जिस से वोह तौबा कर चुका है, तो मरने से पहले वोह ख़ुद उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा।[2] हां ! अगर वाक़िअ़तन उस में ऐसी ख़ामी या बुराई है कि जिस से लोगों को

مدینہ

1 ..... مُسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الغیبة، ص۱۰۷۱، حدیث: ۶۵۹۳ دار الکتاب العربی بیروت

2 ..... ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب (ت: ۱۱۸)، ۴/۲۲۶، حدیث: ۲۵۱۳ دار الفکر بیروت

नुक़्सान पहुंच रहा है तो मश्वरा लेने पर अपने मुसल्मान भाइयों को नुक़्सान से बचाने की अच्छी निय्यत से उस की उस बुराई का तज़्किरा कर दे तो येह गुनाहों भरी ग़ीबत नहीं बल्कि अपने मुसल्मान भाई की ख़ैर ख़्वाही है और मश्वरा मांगने पर अगर मश्वरा देना चाहे तो सहीह़ मश्वरा देना वाजिब और इस सूरत में बिला इजाज़ते शर्ई ऐ़ब छुपाना ख़ियानत है। अ़क़्ल मन्द वोह है जो दूसरों के उ़यूब देखने, टोह में पड़ने और बयान करने के बजाए अपने ऐ़बों पर नज़र करे और उन्हें दूर करने में लग जाए।

किसी की ख़ामियां देखें न मेरी आंखें और

सुनें न कान भी ऐ़बों का तज़्किरा या रब

(वसाइले बख़्शिश)

ग़ीबत के मुख़्तलिफ़ रास्ते

सुवाल : मौजूदा माह़ोल में दरज़ियों (Tailors/Dress Makers) में ग़ीबत किन किन रास्तों से दाख़िल हो सकती है ?

जवाब : इन्सान को ग़ीबत पर उभारने वाला शैत़ान है जो इन्सान की रगों में ख़ून की त़रह़ गर्दिश कर रहा है। येह कमबख़्त अपने फ़न में इतना माहिर है कि मुख़्तलिफ़ त़रीक़ों से ग़ीबत जैसे मोहलिक मरज़ में इस त़रह़ मुब्तला कर देता है कि कानों कान ख़बर तक नहीं होती मसलन किसी दरज़ी के पास गाहक आया, उस ने भाव कम करवाया (या'नी Bargaining की) और कहा कि वोह इतनी सिलाई देगा। थोड़ी बह़्स के बा'द उजरत त़ै हो गई। ऐ़न मुम्किन है कि गाहक के जाने के बा'द एक दरज़ी दूसरे

दरज़ी को या सेठ अपने मा तह़्त को बताए : यार ! येह चमड़ा है, बड़ी मुश्किल से क़ाबू में आया है। इस त़रह़ इस ने दो जुम्ले बोल कर गाहक की ग़ीबत कर दी और गुनाहगार हुवा।

ग़ीबतो चुग़ली की आफ़त से बचें

येह करम या मुस्त़फ़ा फ़रमाइये

(वसाइले बख़्शिश)

भाव कम करवाना सुन्नत है

याद रखिये ! भाव कम कराना कोई मा'यूब या ख़िलाफ़े मुरव्वत काम नहीं बल्कि सुन्नत है। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : भाव (में कमी) के लिये हुज्जत (बह़्स व तक्रार) करना बेहतर है बल्कि सुन्नत सिवा उस चीज़ के जो सफ़रे ह़ज के लिये ख़रीदी जाए, इस (सफ़रे ह़ज की ख़रीदारियों) में बेहतर येह है कि जो मांगे दे दे।[1] आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحمَةُ رَبِّ الْعِزَّت ने सफ़रे ह़ज के लिये ख़रीदी जाने वाली चीज़ में भाव कम न करवाने का जो फ़रमाया है वोह अफ़्ज़ल और बेहतर है। अगर कोई इस में भी भाव कम करवाता है तो वोह गुनहगार नहीं है। अब हो सकता है कि दरज़ी के पास आने वाला गाहक इतना समझदार और परहेज़ गार आदमी हो कि सुन्नत पर अ़मल करने की निय्यत से उस ने भाव कम करवाया हो और दरज़ी ने "येह चमड़ा है, कन्जूस है, होशियार बनता है" वग़ैरा वग़ैरा उलटी

1..... फ़तावा रज़विय्या, 17/128

सीधी बातें कह कर न जाने कितनी ग़ीबतों, तोह्मतों और बद गुमानियों का इरतिकाब कर डाला हो। इन सब बातों से बचने के लिये इल्मे दीन हासिल करना ज़रूरी है। हमारे मुआशरे के तक़रीबन तमाम शो'बाजात में ख़रीदारी के वक़्त भाव कम करवाने को बहुत मा'यूब और ख़िलाफ़े मुरव्वत ख़याल किया जाता है और बा'ज़ अवक़ात गाहक को ख़ूब बुरा भला भी कहा जाता है और उस की ख़ूब ग़ीबत की जाती है। अगर गाहक मुंह मांगी रक़म दे कर चला जाए तब भी ग़ीबत करेंगे, बोलेंगे कि "कितना बे वुक़ूफ़ है, जो मांगा दे कर चला गया, येह दुन्या में कैसे काम्याब होगा" वग़ैरा वग़ैरा, येह सब ग़ीबत ही की सूरतें हैं।

बा'ज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि गाहक के जाने के बा'द दरज़ी अपने साथियों से कहता है : इस ने जैसे तैसे उजरत तो कम करवा ली मगर पैसे निकालना हम भी जानते हैं। अब वोह उजरत वाली कमी पूरी करने के लिये कभी ग़ैर मुनासिब सिलाई करता है तो कभी अधूरा काम करता है या ख़ियानत व बद दियानती करते हुए नाक़िस मटेरियल लगा देता है हालां कि वोह गाहक से पूरी उजरत वुसूल कर चुका होता है या कपड़े वापस देते हुए वुसूल करेगा। **अल्लाह** पाक सब मुसल्मानों को नेक बनाए और एक दूसरे के हुक़ूक़ का ख़याल रखने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

बद गुमानी, झूट, ग़ीबत, चुग़लियां
छोड़ दे तू रब की ना फ़रमानियां

(वसाइले बख़्शिश)

बहर ह़ाल अगर हमें ज़बान का कुफ़्ले मदीना लगाना नसीब हो जाए तो बहुत सारी आफ़तों से नजात मिल सकती है, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल से वाबस्ता इस्लामी भाई ज़बान का कुफ़्ले मदीना लगाते बल्कि "**यौमे कुफ़्ले मदीना**" भी मनाते हैं। आप भी हर मदनी माह की पहली पीर को दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना के मत़्बूआ़ रिसाले "ख़ामोश शहज़ादा" का मुत़ालआ़ कीजिये, बुरी बातों से तो हमेशा बचना ही चाहिये, इस के साथ साथ फ़ुज़ूल बातों से भी बच कर "यौमे कुफ़्ले मदीना" मनाइये मगर कुफ़्ले मदीना का येह मत़लब हरगिज़ नहीं कि जाइज़ बात भी न की जाए जैसे किसी ने सलाम किया या छींक के बा'द "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" कहा या अज़ान की आवाज़ सुनाई दी तो इन का जवाब दिया जाएगा ह़त्ता कि जिन चीज़ों का जवाब देना वाजिब है तो उन का जवाब न देने की वज्ह से गुनाहगार होंगे। ज़बान के कुफ़्ले मदीना का मक़्सद अपनी ज़बान को फ़ुज़ूल बातों से रोकना है कि फ़ुज़ूल गोई से ख़ामोशी बेहतर है और नेकी की दा'वत वग़ैरा देना ख़ामोशी से बेहतर है।

ज़बान और आंखों का कुफ़्ले मदीना
अ़त़ा हो पए मुस्त़फ़ा या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

रसीद पर लिखी हुई तह़रीर का हुक्म

सुवाल : अक्सर दरज़ियों की रसीद पर लिखा होता है कि "तीन माह के

अन्दर अन्दर अपना सूट ले जाएं वरना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी।" क्या इस त़रह़ लिख देने से तीन माह के बा'द उन की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है ?

जवाब : दरज़ी को जो कपड़े सीने के लिये दिये जाते हैं वोह उस के पास वदीअ़त या'नी अमानत होते हैं और वदीअ़त का हुक्म येह है कि उस की ह़िफ़ाज़त की जाएगी ता वक़्ते कि मालिक के ह़वाले कर दी जाए और मालिक फ़ौत हो जाए तो उस के वुरसा के ह़वाले की जाएगी और अगर उन में से कोई भी न मिले तो तब भी बत़ौरे वदीअ़त अपने पास मह़फ़ूज़ रखेगा यहां तक कि अगर दरज़ी ने जान बूझ कर उसे ज़ाएअ़ कर दिया तो उस पर ज़मान (तावान) लाज़िम होगा। दरज़ी, धोबी या दीगर पेशावर ह़ज़रात अगर्चे अपनी रसीदों पर लिखवा भी दें कि "**अपना सामान मुक़र्ररा मुद्दत तक ले जाएं, तीन माह के बा'द हमारी कोई ज़िम्मादारी न होगी।**" तब भी वोह ज़िम्मेदार रहेंगे, तीन माह क्या बिलफ़र्ज़ तीन सो साल के बा'द भी मालिक लौट आए तो उसे उस की अमानत वापस करना होगी। दरज़ी ह़ज़रात सोचेंगे कि वोह तीन सो साल तक कैसे ज़िन्दा रह सकते हैं तो अ़र्ज़ है कि उन के बा'द वोह शै उन की औलाद के पास अमानत रहेगी और उन के बा'द उन की औलाद के पास عَلٰی ھٰذَا الْقِیَاس ह़त्ता कि वोह शै अस्ल मालिक या उस के वुरसा के पास पहुंच जाए। वदीअ़त को सदक़ा भी नहीं किया जा सकता लिहाज़ा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि तीन माह बा'द कोई उस शै को ग़ाइब कर दे या हड़प कर जाए कि ऐसा करने

वाला यक़ीनन ख़ियानत का मुरतकिब होगा। सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : वदीअ़त रखने वाला ग़ाइब हो गया, मा'लूम नहीं ज़िन्दा है या मर गया तो वदीअ़त को मह़फ़ूज़ ही रखना होगा, जब मौत का इ़ल्म हो जाए और वुरसा भी मा'लूम हैं, वुरसा को दे दे, मा'लूम न होने की सूरत में वदीअ़त को सदक़ा नहीं कर सकता और लुक़्त़ा में मालिक का पता न चले तो सदक़ा करने का हुक्म है।[1] लिहाज़ा मश्वरा येह है कि जिस से कपड़े लें तो उस का फ़ोन नम्बर और पता वग़ैरा भी नोट कर लें ताकि ताख़ीर की सूरत में पहुंचाए जा सकें।

बोरियत दूर करने के लिये गाने सुनना कैसा ?

सुवाल : बा'ज़ दरज़ी पेशा लोग काम के दौरान बोरियत व सुस्ती दूर करने, अपने दिल को बहलाने और सुकून पाने के लिये गाने बाजे चलाते हैं कि येह रूह़ की ग़िज़ा है, तो क्या येह दुरुस्त है ? इसी त़रह़ बा'ज़ दुकानों में गाने न चलाए जाएं तो कारीगर काम ही नहीं करते, इस वज्ह से सेठ गाने चलाने पर मजबूर हो जाता है, इस का ह़ल इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब : बोरियत हो या कुछ और, गाने बाजे सुनना ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गाने बाजों से न तो इत़्मीनाने क़ल्ब ह़ासिल होता है और न ही येह रूह़ की ग़िज़ा हैं। हां ! गन्दी व ख़बीस रूहों की ग़िज़ा हों तो येह अलग बात है मगर अहले

1..... बहारे शरीअ़त, 3/38, ह़िस्सा : 14

ईमान की पाकीज़ा रूहों की ग़िज़ा तो **अल्लाह** पाक का ज़िक्र है इसी से इन के दिल चैन पाते हैं। चुनान्चे ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَىٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

(پ۱۳،الرعد:۲۸)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो ईमान लाए और उन के दिल **अल्लाह** की याद से चैन पाते हैं सुन लो **अल्लाह** की याद ही में दिलों का चैन है।

मा'लूम हुवा कि गाने बाजे और मूसीक़ी न तो रूह़ की ग़िज़ा है और न ही इस से क़रार ह़ासिल होता है। मुसल्मान का दिल बहलाने और इत़्मीनान पाने के लिये तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का ज़िक्र है लिहाज़ा अपने दिल को **ज़िक्रुल्लाह** से बहलाएं या ना'त शरीफ़ की केसिटें चलाएं और हर ह़ाल में अपने आप को गाने सुनने से बचाएं कि रह़मते दारैन, सरवरे कौनैन صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने बाइ़से चैन है : गाना दिल में ऐसे निफ़ाक़ पैदा करता है जैसे पानी खेती उगाता है और ज़िक्र दिल में ऐसे ईमान पैदा करता है जैसे पानी खेती उगाता है।[1]

रही बात सेठ की जो बेचारा ख़ुद तो गाने बाजे सुनने का आ़दी नहीं अलबत्ता अपने कारीगरों की वज्ह से गाने बाजे चलाने पर मजबूर हो जाता है तो इस मस्अले का ला यन्ह़ल (Unsolved) होना समझ में नहीं आता। **पहली बात** तो येह है कि समझदार और मदनी ज़ेह्न रखने वाले इस्लामी भाई अपने कारख़ानों में

مدینہ

1 ..... سنن کبری للبیھقی، کتاب الشھادات، باب الرجل یغنی...الخ، ۱۰/ ۳۷۷، حدیث:۲۱۰۰۷
دار الکتب العلمیۃ بیروت

www.dawateislami.net

ऐसा माहोल पैदा ही नहीं होने देते कि कोई कारीगर ऐसा ना जाइज़ मुत़ालबा करे। जब कारख़ाने में गाने बजाने के लिये डेक, टीवी या किसी ऑडियो या विडियो प्लेयर और सीडीज़ वग़ैरा का इन्तिज़ाम न होगा तो "न रहेगा बांस, न बजेगी बांसरी" और अगर इन्तिज़ाम तो है मगर सिर्फ़ मदनी चेनल और ना'त और बयान वग़ैरा का सिल्सिला होता है तो कारीगर सेठ से बात कर के ख़ुद ही शरमिन्दा होगा कि कोई ज़ी शुऊ़र मुसल्मान ना'त और बयान वग़ैरा को बन्द कर के उन की जगह गाने बाजे चलाना गवारा नहीं करता।

दूसरी बात येह है कि किसी दूसरे की वज्ह से गुनाह का इरतिकाब करना और उन सब का गुनाह अपने सर लेना यक़ीनन बहुत बड़ी नादानी है। हां ! अगर कोई कारीगर गानों का रस्या है तो उस पर इन्फ़िरादी कोशिश कर के उस की इस्लाह़ कर दें। इस के लिये सेठ का ख़ुद अपना मदनी ज़ेह्न होगा तो اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ मुआ़मलात जल्द दुरुस्त हो जाएंगे क्यूं कि उ़मूमन कारीगर ख़ुद आलाते लह्वो लइ़ब अपने साथ नहीं लाते बल्कि पहले से जारी निज़ाम के तह़्त कारख़ाने में मौजूद होते हैं जिस की वज्ह से मुआ़मला जूं का तूं चलता रहता है वरना कारीगरों में इतनी मजाल नहीं होती कि किसी सेठ को ग़लत़ काम पर मजबूर करें और वोह उन के सामने बेचारा बेबस हो कर रह जाए।

मैं गाने बाजों और फ़िल्मों डिरामों के गुनह छोड़ूं
पढ़ूं ना'तें करूं अक्सर तिलावत या रसूलल्लाह

(वसाइले बख़्शिश)

www.dawateislami.net

कपड़े के बचे हुए टुकड़े इस्ति'माल में लाना

सुवाल : गार्मेन्ट्स के शो'बे में एक पार्टी की त़रफ़ से मुख़्तलिफ़ कपड़ों के पेक शुदा या खुले थान आते हैं जिन से 50 या 60 पीस (Piece) तय्यार करने होते हैं। काम मुकम्मल होने के बा'द कपड़ों के छोटे बड़े टुकड़े बच जाते हैं जो कभी इस्ति'माल में आ जाते हैं और कभी नहीं। बा'ज़ अवक़ात मालिक कह देता है कि ठीक है आप रख लें, हमारे पीस पूरे हो चुके हैं। अब इस सूरत में बच जाने वाले टुकड़ों को अपने इस्ति'माल में ला सकते हैं या नहीं ?

जवाब : कपड़ा सीने के बा'द जो कतरन बचती है आ़म तौ़र पर उ़र्फ़ येही है कि उस को वापस नहीं लिया जाता तो उसे रखने में ह़रज नहीं और बड़े टुकड़ों में जहां येह उ़र्फ़ हो कि लोग उन्हें भी वापस नहीं लेते तो उन्हें भी रख सकते हैं और जहां लोग वापस लेते हों वहां वापस देने पड़ेंगे। हां ! अगर मालिक मा'लूम होने के बा'द कहता है कि ठीक है, हमारा काम पूरा हो गया है, अब जो बचा है वोह तुम रख लो तो अब पूरा थान भी बच गया और आप ने इजाज़त के साथ रख लिया तो कोई ह़रज नहीं। याद रखिये ! इजाज़त दो त़रह़ से होती है सराह़तन या दलालतन। सराह़तन इस त़रह़ कि मालिक कह दे जो टुकड़े बचे हैं वोह आप रख लें तो येह मालिक की त़रफ़ से सराह़तन इजाज़त होगी और दलालतन इजाज़त यूं होती है मसलन इस के साथ बारहा इस त़रह़ का मुआ़मला रहा कि मुआ़हदे से बच जाने वाले टुकड़े वापस नहीं लेता या इस को मा'लूम है कि बक़िय्या टुकड़े रख

लिये जाते हैं इस के बा वुजूद वोह ख़ामोश रहता है तो येह दलालतन इजाज़त समझी जाती है क्यूं कि अगर इजाज़त न होती तो वोह इस का मुत़ालबा करता।

यहां येह बात ज़ेह्न नशीन कर लीजिये कि इजाज़त सराह़तन या दलालतन सेठ ही की त़रफ़ से हो। आ़म त़ौर पर सेठ ख़ुद नहीं आता बल्कि किसी नोकर को भेज देता है। नोकर अगर कहे कि रख लो तो उस का येह कहना काफ़ी न होगा क्यूं कि नोकर की जेब से कुछ नहीं जाता लिहाज़ा सेठ ही से राबित़ा करना होगा नीज़ ऑर्डर के बा'द बड़े टुकड़ों का बचना भी सेठ के इ़ल्म में हो क्यूं कि उ़मूमन छोटे टुकड़ों का तो उसे इ़ल्म होता है और उस ने पहले से इजाज़त दे दी हो तो वोह भी छोटे टुकड़ों ही की इजाज़त होगी लिहाज़ा बड़े टुकड़ों या थान बचने की सूरत में नए सिरे से इजाज़त दरकार होगी जिस में बड़े टुकड़ों या थानों की सराह़त हो वरना येह मालिक को वापस करना होंगे।

देखा गया है कि गार्मेन्ट्स की फ़ेक्टरियों से ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों की गांठें निकलती हैं जो बच्चों के सूट बनाने वालों को मुहय्या (Supply) की जाती हैं और उन से ख़ात़िर ख़्वाह रक़म हाथ आती है। इस लिहाज़ से "आम के आम, गुठलियों के दाम" वाले इस दौर में जब कचरा भी किसी न किसी इस्ति'माल में लाया जा रहा है, सेठ का बड़े बड़े क़ाबिले इस्ति'माल टुकड़ों (Cut Pieces) के ह़वाले से खुली छुट्टी दे देना समझ में नहीं आता। हां ! अगर मालिक येह सब कुछ जानने के बा'द इजाज़त दे दे तो रख लेने में ह़रज नहीं।

कपड़ा बचा कर उजरत की कमी पूरी करना कैसा ?

सुवाल : बसा अवक़ात दरज़ियों में से किसी एक पार्टी के साथ ऑर्डर तै हो रहा होता है तो दूसरी दरज़ी पार्टी आ कर कम रेट पर ऑर्डर ले लेती है मगर वोह कटिंग में फ़र्क़ करते हुए कुछ कपड़ा बचा कर अपनी कमी को पूरा कर लेती है उन का ऐसा करना कैसा है ?

जवाब : पहली बात तो येह है कि जब एक पार्टी से बातचीत चल रही हो तो इस दौरान दूसरी पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिये। हां ! अगर उन की बात न बन सके तो अब दूसरी पार्टी बातचीत कर सकती है। दूसरी बात येह है कि दूसरी पार्टी का कम रेट पर ऑर्डर ले कर कटिंग में फ़र्क़ करते हुए कपड़ा बचा कर अपनी कमी को पूरा करना शर्अ़न जाइज़ नहीं क्यूं कि अगर वोह कटाई में इस त़रह़ फ़र्क़ करे कि मत़लूबा औसाफ़ के मुत़ाबिक़ चीज़ ही तय्यार न हो तो इस सूरत में उस पर कपड़े का तावान देना लाज़िम है क्यूं कि तअ़द्दी (ज़ियादती) पाई गई और अगर कपड़ा मत़लूबा औसाफ़ के मुत़ाबिक़ तय्यार कर भी दे तो भी बचा हुवा कपड़ा शर्अ़न वोह मालिक ही की मिल्क में बाक़ी रहता है और मालिक को बताए बिग़ैर उसे रख लेना ग़स्ब है। हां ! जब मालिक की त़रफ़ से बचा हुवा कपड़ा लेने की सराह़तन या दलालतन इजाज़त हो या फिर वहां का उ़र्फ़ हो तो इस सूरत में रख लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं।

पहली सूरत में ख़ियानत का पहलू भी नुमायां है क्यूं कि अजीर

के पास कपड़ा अमानत होता है और कपड़े में कटिंग करते हुए अपने लिये कपड़ा बचा लेना ख़ियानत है और अमानत में ख़ियानत करना मुसल्मान की शान नहीं बल्कि मुनाफ़िक़ीन की अ़लामतों में से एक अ़लामत है । चुनान्चे नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं : (1) जब बात करे झूट बोले (2) जब वा'दा करे वा'दा ख़िलाफ़ी करे (3) जब उस के पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत करे ।[1]

जो दुकानें ख़ियानत से चमकाएंगे !
क्या उन्हें ज़र के अम्बार काम आएंगे ?
क़हरे क़ह्हार से क्या बचा पाएंगे ?
जी नहीं नारे दोज़ख़ में ले जाएंगे

(वसाइले बख़्शिश)

ज़ाती नुक़्सान बरदाश्त है मगर किसी और का नुक़्सान गवारा नहीं

दरज़ियों को चाहिये कि वोह ख़ियानत करने और अपने मुसल्मान भाइयों को धोका देने से बचें । हमारे बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن की तो येह मदनी सोच हुवा करती थी और उन के दिलों में एह़तिरामे मुस्लिम का ऐसा जज़्बा होता था कि वोह ख़ुद अपना ज़ाती नुक़्सान तो बरदाश्त कर लेते लेकिन किसी मुसल्मान का नुक़्सान गवारा न करते इस बात का अन्दाज़ा इस ह़िकायत से लगाइये । चुनान्चे हुज्जतुल इस्लाम ह़ज़रते सय्यिदुना

1 ..... بخاری، کتاب الایمان، باب علامۃ المنافق، ۱/۲۴، حدیث: ۳۳

इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى नक़्ल फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना शैख़ अबू अ़ब्दुल्लाह ख़य्यात़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के पास एक आतश परस्त कपड़े सिलवाता और हर बार उजरत में खोटा सिक्का दे जाता, आप उस को ले लेते। एक बार आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की ग़ैर मौजूदगी में शागिर्द ने आतश परस्त से खोटा सिक्का न लिया। जब हज़रते सय्यिदुना शैख़ अबू अ़ब्दुल्लाह ख़य्यात़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه वापस तशरीफ़ लाए और उन को येह मा'लूम हुवा तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने शागिर्द से फ़रमाया : तू ने खोटा दिरहम क्यूं नहीं लिया ? कई साल से वोह मुझे खोटा सिक्का ही देता रहा है और मैं भी चुपचाप ले लेता हूं ताकि येह किसी दूसरे को न दे आए।[1]

क़मीस में धाती बटन लगाना और गले में इन्ची टेप लटकाना कैसा ?

सुवाल : क़मीस में किसी धात (Metal) के बटन लगाना और गले में फ़ीता (Inchi Tape) लटकाना जाइज़ है ?

जवाब : क़मीस में सोने, चांदी या रेशम के बटन लगाना जाइज़ है जब कि येह बटन ज़न्जीर से बंधे हुए न हों जैसा कि आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن **दुर्रे मुख़्तार** के ह़वाले से नक़्ल फ़रमाते हैं : रेशम और सोने के बटन में कुछ ह़रज नहीं।[2] धात (Metal) के बटन भी उ़लमाए किराम की तसरीह़ात के पेशे नज़र जाइज़ होने चाहिएं।[3] रही बात फ़ीता (Inchi

مدینہ

1 ..... احیاء العلوم، کتاب الریاضۃ النفس وتھذیب الاخلاق، باب علامات حسن الخلق، ۳/۸۷ دار صادر بیروت

2 ..... फ़तावा रज़विय्या, 22/117

3 ..... फ़तावा अहले सुन्नत, ग़ैर मत़बूआ़

Tape) गले में डालने की जैसा कि दरज़ी ह़ज़रात उ़मूमन काम के वक़्त गले में डालते हैं, इसी त़रह़ डॉक्टर ह़ज़रात भी अपने गले में स्टेथोस्कोप (Stethoscope या'नी मरीज़ के सीने वग़ैरा का मुआ़यना करने का आला) लटकाए रखते हैं तो इस में कोई ह़रज नहीं।

ख़ाली क़ैंची चलाने से घर में लड़ाई होने की ह़क़ीक़त

सुवाल : ख़ाली क़ैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है इस की क्या ह़क़ीक़त है ?

जवाब : ख़ाली क़ैंची चलाने से घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ऐसा सुनने में तो बहुत आता है लेकिन देखने में कभी नहीं आया कि किसी ने ख़ाली क़ैंची चलाई हो तो लड़ाई झगड़ा हो गया हो। अलबत्ता हर एक के आगे ज़बान चलाने से लड़ाई झगड़े होने के बहुत सारे वाक़िआ़त मिल सकते हैं। ऐसी अ़जीबो ग़रीब बातें उ़मूमन औ़रतों ही से सादिर होती हैं जिन का कहीं वुजूद नहीं होता। बहर ह़ाल इस क़िस्म की बातें मह़ज़ तवह्हुमात और बद शुगूनी का पुलन्दा होती हैं, इन पर न तो ख़ुद यक़ीन करना चाहिये और न ही इन्हें लोगों में फैलाना चाहिये। ह़दीसे पाक में है नबिय्ये अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सामने बद शुगूनी का ज़िक्र हुवा। तो आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : फ़ाल अच्छी चीज़ है और बुरा शुगून किसी मुसल्मान को वापस न करे (या'नी कहीं जा रहा था और बुरा शुगून हुवा तो वापस न आए, चला जाए) जब कोई शख़्स ऐसी चीज़ देखे जो ना पसन्द है

या'नी बुरा शुगून पाए तो येह कहे : اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ या'नी ऐ **अल्लाह** तेरे सिवा कोई नेकियों को लाने वाला नहीं और न ही तेरे सिवा कोई बुराइयों को दूर करने वाला है और सिवाए तेरी तौफ़ीक़ के किसी के पास कोई कुव्वतो त़ाक़त नहीं है।[1]

मा'लूम हुवा कि बद शुगूनी या बदफ़ाली बुरी चीज़ है जिस से इज्तिनाब करना चाहिये जब कि नेक फ़ाल लेना पसन्दीदा फ़े'ल है जैसा कि आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 9 सफ़ह़ा 373 पर एक सुवाल के जवाब में इर्शाद फ़रमाया : "(वक़्ते दफ़्न) बारिशे रह़मत फ़ाले ह़सन है ख़ुसूसन अगर ख़िलाफ़े आ़दत हो।" इसी त़रह़ अ़क़ीक़े के बारे में उ़लमाए किराम फ़रमाते हैं : बेहतर येह है कि उस की हड्डी न तोड़ी जाए बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाए कि येह बच्चे की सलामती की नेक फ़ाल है और हड्डी तोड़ कर गोश्त बनाया जाए तो इस में भी ह़रज नहीं। गोश्त को जिस त़रह़ चाहें पका सकते हैं, मगर मीठा पकाया जाए तो बच्चे के अख़्लाक़ अच्छे होने की फ़ाल है[2]।[3]

1..... ابو داود، کتاب الطب، باب فی الطیرۃ، ۴/۲۵، حدیث: ۳۹۱۹ دار احیاء التراث العربی بیروت

2..... बहारे शरीअ़त, 3/357, ह़िस्सा : 15

3..... "बद शुगूनी" के बारे में मज़ीद तफ़्सीलात जानने के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ 126 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब "बद शुगूनी" का मुत़ालआ़ कीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ मा'लूमात में इज़ाफ़ा होगा। (शो'बए फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा)

पेश्गी ली गई रक़म इस्ति'माल में लाना कैसा ?

सुवाल : सूटों या जेकिटों का वसीअ़ पैमाने पर काम करने वाले जब किसी पार्टी से ऑर्डर बुक करते हैं तो उन से लाख दो लाख रुपिया पेश्गी (Advance) भी लेते हैं। क्या तय्यार शुदा माल की सिपुर्दगी (Delivery) से पहले ली जाने वाली रक़म इस्ति'माल की जा सकती है ?

जवाब : इस उजरत को इस्ति'माल कर सकते हैं। जिस त़रह़ उधार चीज़ ख़रीदने वाला अपनी शै इस्ति'माल कर सकता है इसी त़रह़ पेश्गी (Advance) रक़म लेने वाला भी उस रक़म को अपने सर्फ़ में ला सकता है कि पेश्गी उजरत लेने से मिल्किय्यत साबित हो जाती है और उस में तसर्रुफ़ जाइज़ होता है।

तसावीर वाले लिबास पहनना कैसा ?

सुवाल : बा'ज़ लोगों के कपड़ों पर तसावीर बनी हुई होती हैं येह जाइज़ है या ना जाइज़ ?

जवाब : जानदारों की तसावीर वाले कपड़े पहनने की शर्अ़न इजाज़त नहीं। सिर्फ़ चेहरे की तस्वीर हो तो भी ना जाइज़ है जैसे आज कल नौ जवान ऐसी शर्टें इस्ति'माल करते हैं जिन के सीने या पुश्त पर किसी अदाकारा, खिलाड़ी या शेर वग़ैरा का चेहरा बना होता है। हां ! बेजान चीज़ों जैसे जहाज़, गाड़ी या पौदों वग़ैरा की तस्वीर बनी हो तो इस में ह़रज नहीं। वोह इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें भी एह़तियात़ फ़रमाएं जो अपने बच्चों को बाबासूट पहनाते हैं। अगर ऐसी तस्वीर वाला कोई सूट ले

लिया है तो फूलों वाले स्टीकर्ज़ ले कर उन के चेहरे पर इस्तरी के ज़रीए प्रेस कर के चस्पां कर दें तो इस से चेहरा भी छुप जाएगा और ख़ूब सूरती भी बर क़रार रहेगी या किसी और त़रीक़े से (मसलन ऊपर कपड़ा वग़ैरा सी कर) चेहरा छुपा दें। **अगर** कपड़ों पर किसी औ़रत की तस्वीर बनी हुई है तो फ़क़त़ चेहरा छुपाने से काम नहीं चलेगा बल्कि औ़रत के दीगर मह़ासिन जैसे मुख़्तलिफ़ आ'ज़ा का उभार वग़ैरा भी छुपाना होगा कि इस में उन की भी नुमाइश होती है। इसी त़रह़ अगर मर्द की तस्वीर में से चेहरा छुपा दिया मगर टाइट पेन्ट के ज़रीए उस का पिछला ह़िस्सा नुमायां दिखाया गया हो तो उस को भी छुपाना होगा, बेहतर येही है कि हमारा लिबास सादा और सुन्नतों का आईना दार हो।

सुन्नतों का हो अ़त़ा दर्द मुसल्मानों को
दूर फ़ेशन की हो भरमार रसूले अ़रबी

(वसाइले बख़्शिश)

ताख़ीर की सूरत में गाहक को कैसे मुत़्मइन करें ?

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात ह़ालात ख़राब होने की वज्ह से किसी गाहक (Customer) का काम मुअख़्ख़र (Delay) हो जाए तो वोह समझता है कि दुकान दार ने इस के साथ झूट बोला है लिहाज़ा ऐसा त़रीक़ा बता दीजिये कि झूट भी न हो और गाहक भी मुत़्मइन हो जाए ?

जवाब : जब आप ने गाहक (Customer) से काम लिया और उसे कहा कि मैं फ़ुलां तारीख़ पर आप को दे दूंगा। इस पर आप अपने

दिल पर अच्छे त़रीक़े से ग़ौर कर लीजिये कि इस में आप की निय्यत क्या है ? मसलन आप ने यकुम मुह़र्रमुल ह़राम को कपड़ा सीने के लिये लिया और गाहक से कहा कि 15 मुह़र्रमुल ह़राम को आप के ह़वाले कर दूंगा। अब 15 मुह़र्रमुल ह़राम का वक़्त देते हुए आप के दिल में निय्यत येही थी कि मुझे इस तारीख़ में कपड़ा सी कर दे देना है तब तो आप अपनी जगह सह़ीह़ हैं और बात भी दुरुस्त है। अब किसी वज्ह से 15 तारीख़ से ताख़ीर हो जाए तो आप पर कोई गुनाह नहीं और अगर आप ने 15 मुह़र्रमुल ह़राम की तारीख़ दे कर जैसे तैसे काम तो ले लिया मगर इस मुक़र्ररा तारीख़ पर काम ह़वाले करने की निय्यत न थी बल्कि उस को टरख़ाने और धक्के खिलाने की निय्यत थी तो आप फ़सादे निय्यत की वज्ह से गुनहगार होंगे। **मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !** येह बात ज़ेह्न में रख कर किसी को वक़्त देंगे तो اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ गुनाह से बचत रहेगी। रही बात ह़ालात के ख़राब होने की तो ह़ालात हर रोज़ ख़राब नहीं होते। अगर आप के अ़लाक़े में ह़ालात ख़राब थे तो गाहक को पता होगा कि इतने दिन से ह़ालात ख़राब हैं, दुकान बन्द पड़ी है, रोज़ हड़तालें हो रही हैं तो ऐसी सूरते ह़ाल में गाहक को समझाना इतना दुश्वार नहीं होता बशर्ते कि समझाना भी आता हो और अगर समझाना नहीं आता और अबे तबे कर के बात की तो आप सो फ़ीसदी सच्चे भी होंगे तब भी वोह आप की बात पर यक़ीन नहीं करेगा और येही ख़याल करेगा कि आप ख़्वाह म ख़्वाह टालम टोल कर रहे हैं लिहाज़ा अपने किरदार और गुफ़्तार को सुथरा रखिये اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ गाहक मान जाएगा।

अख़्लाक़ हों अच्छे मेरा किरदार हो सुथरा

महबूब का सदक़ा तू मुझे नेक बना दे

(वसाइले बख़्शिश)

आप अगर आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल के साथ वाबस्ता हो कर नमाज़ों की पाबन्दी करेंगे और ज़बान को सलीक़े से चलाएंगे तो आप के गाहक आप से मुत़्मइन रहेंगे कि येह नेक आदमी है, इस के चेहरे पर नेकियों का नूर, दाढ़ी की बहार और सर पर इमामे शरीफ़ का ताज है, येह झूट नहीं बोल सकता। यूं ए'तिमाद की फ़ज़ा क़ाइम रहेगी और अगर आप क़ैंची की त़रह़ ज़बान चलाएंगे तो कोई भी आप की बात पर यक़ीन नहीं करेगा।

गाहक से किया गया वा'दा पूरा न करने के बारे में हुक्म

सुवाल : दरज़ी ह़ज़रात ईदैन या शादी बियाह के मवाक़ेअ़ पर गाहकों (Customers) से सिलाई के लिये कपड़े वुसूल कर लेते हैं और वापसी का वक़्त भी दे देते हैं ह़ालां कि उन्हें यक़ीन होता है कि मुक़र्ररा वक़्त पर कपड़े नहीं दे सकेंगे, ऐसी सूरत में गाहकों (Customers) को बार बार धक्के खिलाना कैसा है ?

जवाब : ईदैन और शादी बियाह के मवाक़ेअ़ पर ऐसा बहुत होता है। बेचारे दरज़ी लालच के मारे बहुत से ऑर्डर्ज़ ले लेते हैं लेकिन जब देने का वक़्त आता है तो मुख़्तलिफ़ ह़ीले बहानों से गाहकों को टरख़ाने की कोशिश करते हैं। गाहक मुत़्मइन होते हैं कि वक़्ते मुक़र्ररा पर उन्हें कपड़े तय्यार मिल जाएंगे लेकिन जब

लेने के लिये जाते हैं तो अब उन्हें "सुब्ह़ को आ जाना, शाम को आ जाना, कल आ जाना" वग़ैरा वग़ैरा जुम्ले कह कर टालने की कोशिश की जाती है जिस से गाहकों को शदीद तक्लीफ़ का सामना करना पड़ता है और मुसल्मानों को तक्लीफ़ पहुंचाना ह़राम है । ह़दीसे पाक में है : जिस ने किसी मुसल्मान को अज़िय्यत दी उस ने मुझे अज़िय्यत दी और जिस ने मुझे अज़िय्यत दी उस ने बिला शुबा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ को अज़िय्यत दी ।[1] लिहाज़ा दरज़ियों को अपने गाहकों के साथ किये गए वा'दे की पासदारी करते हुए वक़्ते मुक़र्ररा पर कपड़े तय्यार कर के उन के ह़वाले कर देने चाहिएं । इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾ (پ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۴)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अ़ह्द पूरा करो बेशक अ़ह्द से सुवाल होना है ।

गाहक से कपड़ा वुसूल करते वक़्त अगर ग़ालिब गुमान येह था कि वक़्ते मुक़र्ररा पर दे दूंगा और इस के लिये कोशिश भी की लेकिन फिर भी वक़्त पर न दे सका तो अब येह वा'दा ख़िलाफ़ी नहीं क्यूं कि कपड़ा लेते वक़्त उ़मूमन ग़ालिब गुमान पर ही वापस करने का वक़्त दिया जाता है और अगर कपड़ा लेते वक़्त ग़ालिब गुमान येह था कि उस वक़्त तक सूट तय्यार न हो सकेगा फिर भी चुपके से ले लिया इस सूरत में शर्अ़न येह दरज़ी गुनहगार होगा कि वा'दा पूरा करने की इस की निय्यत ही न थी । हुज़ूरे पुरनूर, शाफ़ेए़ यौमुन्नुशूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : वा'दा ख़िलाफ़ी येह नहीं कि आदमी वा'दा

1 ..... مُعجمِ اوسط، باب السین، من اسمہ سعید، ۲/۳۸۶، حدیث: ۳۶۰۷ دار الکتب العلمیۃ بیروت

करे और उस की निय्यत उसे पूरा करने की भी हो बल्कि वा'दा ख़िलाफ़ी येह है कि आदमी वा'दा करे और उस की निय्यत उसे पूरा करने की न हो।[1] एक और ह़दीसे पाक में है कि जब कोई शख़्स अपने भाई से वा'दा करे और उस की निय्यत पूरा करने की हो फिर पूरा न कर सके तो उस पर गुनाह नहीं।[2]

इस ह़दीसे पाक के तह़्त मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : ह़दीस का मत़लब येह है कि अगर वा'दा करने वाला पूरा करने का इरादा रखता हो मगर किसी उ़ज़्र या मजबूरी की वज्ह से पूरा न कर सके तो वोह गुनाहगार नहीं, यूं ही अगर किसी की निय्यत वा'दा ख़िलाफ़ी की हो मगर इत्तिफ़ाक़न पूरा कर दे तो गुनहगार है उस बद निय्यती की वज्ह से। हर वा'दे में निय्यत का बड़ा दख़्ल है।[3]

ह़सद, वा'दा ख़िलाफ़ी, झूट, चुग़ली, ग़ीबतो तोहमत
मुझे इन सब गुनाहों से हो नफ़रत या रसूलल्लाह

(वसाइले बख़्शिश)

ब्रोकर को कमीशन देने की जाइज़ सूरत

सुवाल : कुछ लोग हमारे पास गाहक ले कर आते हैं और उस के इ़वज़ हम से कमीशन मांगते हैं जब कि गाहक को कुछ पता नहीं होता तो क्या इस सूरत में हम उन को कमीशन दे सकते हैं ?

مدینہ

1 ..... الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، املاء الحدیث... الخ، ص ۳۱۵، رقم: ۱۱۶۸ دار ابن الجوزی الدمام

2 ..... ابوداود، کتاب الادب، باب فی العدۃ، ۴/۳۸۸، حدیث: ۴۹۹۵

3 ..... मिरआतुल मनाजीह़, 6/492, ज़ियाउल क़ुरआन पब्लीकेशन्ज़, मर्कज़ुल औलिया लाहोर

जवाब : जिन लोगों से पहले से तै़ कर रखा है कि गाहक लाने पर आप को इतना कमीशन मिलेगा तो कमीशन का लेन देन बा'ज़ सूरतों में जाइज़ होगा और बा'ज़ में ना जाइज़ । जाइज़ की सूरत येह है कि कमीशन लेने वाले गाहक पर बराबर मेह़नत करें, अपना वक़्त या सरमाया सर्फ़ करें कि जिस से दौड़धूप करना साबित होता हो तो इस सूरत में ब्रोकर का गाहक लाने पर कमीशन लेना जाइज़ होगा और इस के बर ख़िलाफ़ अगर किसी ने ख़ुद आ कर इस ब्रोकर से पूछा कि कौन सा दरज़ी आज कल सह़ीह़ है तो ब्रोकर ने कह दिया : फ़ुलां दरज़ी तो मह़ज़ इस मश्वरे पर कमीशन लेने का ह़क़दार नहीं होगा जैसा कि **फ़तावा रज़विय्या** में है : "अगर किसी कारन्दे (या'नी काम करने वाले) ने उस काम के सिल्सिले में जो दौड़धूप की वोह अपने आक़ा की त़रफ़ से थी, बेचने वाले की त़रफ़ से न थी अगर्चे बा'ज़ ज़बानी बातें बेचने वाले की त़रफ़ से भी की हों मसलन आक़ा को मश्वरा दिया कि येह चीज़ अच्छी है, ख़रीद लेनी चाहिये या इस में आप का नुक़्सान नहीं और मुझे इतने रुपै मिल जाएंगे और सेठ ने ख़रीद ली तो कारन्दा (या'नी काम करने वाला) बेचने वाले की त़रफ़ से किसी उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं कि उजरत आने जाने, मेह़नत करने की होती है न कि बैठे बैठे दो चार बातें कहने, सलाह़ बताने, मश्वरा देने की । हां ! अगर बेचने वाले की त़रफ़ से दौड़धूप में अपना वक़्त सर्फ़ किया तो सिर्फ़ उजरते मिस्ल का ह़क़दार होगा या'नी ऐसे काम के लिये इतनी कोशिश करने पर जो मज़दूरी होती है उस से ज़ाइद न पाएगा अगर्चे बेचने वाले से उस से ज़ियादा का तै़ हुवा हो और

अगर कारन्दे (या'नी काम करने वाले) से उजरते मिस्ल से कम में तै़ हुवा था तो जो तै़ हुवा था वोही मिलेगा कि येह कमी कारन्दे की अपनी रिज़ा मन्दी के नतीजे में हुई है।''[1]

गाहक को बताए बिग़ैर उजरत वुसूल कर लेना

सुवाल : अगर कोई शख़्स गाहक को 500 रुपै सिलाई बता कर दरज़ी को 400 रुपै दे और 100 रुपै अपनी मेह़नत के रख ले तो उस का ऐसा करना कैसा है ?

जवाब : मज़्कूरा सूरत में गाहक को 500 रुपै उजरत बता कर 400 रुपै दरज़ी को देना और गाहक व दरज़ी को बताए बिग़ैर 100 रुपिया ख़ामोशी से अपनी जेब में डाल लेना शर्ई ए'तिबार से दुरुस्त नहीं। इस मस्अले का ह़ल येह है कि अगर शख़्से मज़्कूर ने उस काम में तगो दौ और मेह़नतो कोशिश की है और उजरत बिल्कुल तै़ न हुई थी जैसा कि सुवाल से ज़ाहिर हो रहा है तो उसे उजरते मिस्ल ही मिलेगी और दल्लाल के लिये अपनी मरज़ी से गाहक को बताए बिग़ैर 100 रुपिया रख लेना जाइज़ न होगा। हां ! अगर उजरत तै़ हुई थी और वोह उजरते मिस्ल से ज़ाइद थी तो उजरते मिस्ल का ह़क़दार होगा और तै़ शुदा उजरत, उजरते मिस्ल से कम थी तो उसे कम ही दी जाएगी और अगर उस ने कोई मेह़नतो कोशिश नहीं की तो महज़ ज़बानी दो चार बातें करने से उजरत का ह़क़दार न होगा। उजरत का मुस्तह़िक़ होने के लिये कुछ न कुछ मेह़नतो कोशिश होना ज़रूरी है जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अबू ख़ल्दा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते

[1]..... फ़तावा रज़विय्या, 19/452, माख़ूज़न

हैं : मैं ने ह़ज़रते इक्रमा और अबुल आ़लिया رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से सुवाल किया कि मैं दरज़ी का काम करता हूं, कपड़ों की कटाई करता हूं और फिर जितनी उजरत मैं ने वुसूल की होती है उस से कम उजरत में (दूसरे को सिलाई के लिये) दे देता हूं तो उन्हों ने कहा : क्या तुम उन कपड़ों में कुछ काम (मेह़नत व कोशिश) भी करते हो ? फ़रमाते हैं : मैं ने कहा : हां ! मैं कपड़ों को काटता हूं और फिर आगे दे देता हूं। उन्हों ने कहा : इस में ह़रज नहीं।[1]

ग़ैर मे'यारी कपड़े तय्यार करने में तावान की सूरत

सुवाल : कारीगर बसा अवक़ात हमारे मे'यार के मुत़ाबिक़ माल तय्यार नहीं करते तो क्या इस सूरत में हम उन से तावान (या'नी जुर्माना) ले सकते हैं ? नीज़ अगर दरज़ी कपड़े ख़राब कर दे तो उस से रक़म वुसूल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : इस मस्अले में अजीरे ख़ास और अजीरे मुश्तरक के अह़काम जुदा जुदा हैं। वोह अजीर जो किसी ख़ास वक़्त में एक ही शख़्स के काम करने का पाबन्द हो "**अजीरे ख़ास**" कहलाता है जैसे दरज़ी ह़ज़रात तनख़्वाह दे कर अपने पास कारीगर रखते हैं, और वोह अजीर जिस के लिये किसी ख़ास वक़्त में फ़र्दे वाह़िद का काम करना ज़रूरी न हो और आ़म लोगों का काम भी कर सकता हो तो उसे "**अजीरे मुश्तरक** या **अजीरे आ़म**" कहते हैं जैसे वोह दरज़ी जिस से आ़म लोग अपने कपड़े सिलवाते हैं।

مدینہ

1 ..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب البیوع والاقضیۃ، الرجل یدفع الی الخیاط...الخ، ۵/۱۴، حدیث: ۳ دار الفکر بیروت

अजीरे मुश्तरक के ज़मान के बारे में सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : अजीरे मुश्तरक के फ़े'ल से अगर चीज़ ज़ाएअ़ हुई तो तावान वाजिब है मसलन धोबी ने कपड़ा फाड़ दिया अगर्चे क़स्दन न फाड़ा हो चाहे उसी ने ख़ुद फाड़ा या उस ने दूसरे से धुलवाया उस ने फाड़ा, बहर ह़ाल तावान वाजिब है और इस सूरत में धुलाई का भी मुस्तह़िक़ नहीं ।[1] हां ! अगर अजीरे मुश्तरक के किसी फ़े'ल के बिग़ैर वोह चीज़ ज़ाएअ़ हो गई तो इस बारे में अजीर के सालेह़, फ़ासिक़ और मस्तूरुल ह़ाल (जिस का सालेह़ या फ़ासिक़ होना मा'लूम न हो) होने के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ अह़काम हैं ।

ख़ास पूछी गई सूरत का जवाब येह है कि येह अगर अजीरे मुश्तरक (जैसे आ़म दरज़ी) था तो मे'यार के मुत़ाबिक़ काम न करने की दो सूरतें हैं : (1) कपड़ा बिल्कुल दुरुस्त न सिया तो इस सूरत में उस पर तावान होगा । (2) सिया तो दुरुस्त मगर नाप में एकआध उंगल की कमी बेशी कर दी तो इस सूरत में तावान नहीं होगा और उजरत का मुस्तह़िक़ होगा जैसा कि **बहारे शरीअ़त** में है : दरज़ी से कह दिया कि इतना लम्बा और इतना चौड़ा होगा और इतनी आस्तीन होगी मगर सी कर लाया तो उस से कम है जितना बताया अगर एकआध उंगल कम है मुआ़फ़ है और ज़ियादा कम है तो उसे तावान देना पड़ेगा ।[2]

1..... बहारे शरीअ़त, 3/156, ह़िस्सा : 14

2..... बहारे शरीअ़त, 3/133, ह़िस्सा : 14

और अगर अजीरे ख़ास (जैसे तनख़्वाह दार कारीगर) था और उस ने जान बूझ कर कपड़े ख़राब कर दिये तो उस पर तावान होगा वरना नहीं जैसा कि **बहारे शरीअ़त** में है : अजीरे ख़ास के पास जो चीज़ है वोह अमानत है अगर तलफ़ हो जाए तो ज़मान वाजिब नहीं अगर्चे उस के फ़े'ल की वज्ह से तलफ़ हुई मसलन अजीरे ख़ास ने कपड़ा धोया और उस के (लकड़ी या पथ्थर की सिल वग़ैरा पर) पटक्ने या निचोड़ने से फट गया, इस पर ज़मान वाजिब नहीं और अजीरे मुश्तरक से ऐसा हो तो वाजिब है। (जिस का मुफ़स्सल ज़िक्र गुज़र चुका है।) हां ! अगर अजीरे ख़ास ने क़स्दन उस चीज़ को फ़ासिद व ख़राब कर दिया तो उस पर तावान वाजिब होगा।[1]

मज़ाक़ करने वाले दरज़ी के लिये भी दुआए ख़ैर

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर बिलफ़र्ज़ किसी दरज़ी ने आप के कपड़े ख़राब कर भी दिये तो आप बहसो तक्रार या लड़ाई झगड़े के बजाए सब्र कर के ख़ूब ख़ूब अज्रो सवाब कमाते हुए शैतान के इस वार को नाकाम बना दीजिये क्यूं कि अब लड़ाई झगड़ा करने से आप के कपड़े दुरुस्त नहीं हो जाएंगे बल्कि आप का वक़ार मजरूह होगा लिहाज़ा हुस्ने अख़्लाक़ का दामन थामते हुए, अपने अस्लाफ़े किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام की पैरवी करते हुए उस के साथ नरमी से पेश आइये। इस से न सिर्फ़ उस

1..... बहारे शरीअ़त, 3/160, हिस्सा : 14

को अपने किये पर नदामत होगी बल्कि वोह आप का गिरवीदा भी हो जाएगा। इस ज़िम्न में एक दिलचस्प हिकायत सुनिये : **मन्कूल** है कि एक बार हज़रते सय्यिदुना इमाम शाफ़ेई عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي ने किसी दरज़ी से क़मीस सिलवाई। वोह आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के मक़ामो मर्तबे से ना वाक़िफ़ था। उस ने मज़ाक़ करते हुए दाईं आस्तीन इतनी तंग कर दी कि उस में आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का हाथ ब मुश्किल दाख़िल होता और बाईं इतनी कुशादा कर दी कि उस में सर भी दाख़िल हो सकता था। जब क़मीस आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की ख़िदमत में पेश की गई तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने फ़रमाया : "**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ तुझे जज़ाए ख़ैर अ़ता फ़रमाए! तंग आस्तीन वुज़ू में ऊपर चढ़ाने के लिये बेहतर है और खुली आस्तीन किताब रखने के लिये मोज़ूं है।" इसी दौरान ख़लीफ़ए वक़्त का क़ासिद दस हज़ार दिरहम ले कर आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की ख़िदमत में हाज़िर हुवा। दरज़ी के पास ही उस की आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه से मुलाक़ात हो गई। आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने क़ासिद को फ़रमाया : "इस दरज़ी को कपड़ों की सिलाई दे दो।" जब दरज़ी ने क़ासिद से आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के मुतअ़ल्लिक़ पूछा तो उस ने बताया : "येह हज़रते सय्यिदुना इमाम शाफ़ेई عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي हैं।" येह सुनते ही वोह आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के पीछे हो लिया और क़दम बोसी कर के मा'ज़िरत की फिर आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की ख़िदमत में ही रहने लगा और आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के हल्क़ए अह़बाब में शामिल हो गया।[1]

مدینہ

1 ..... الروض الفائق، ص۲۰۸ دار احیاء التراث العربی بیروت

www.dawateislami.net

मेरे अख़्लाक़ अच्छे हों, मेरे सब काम अच्छे हों
बना दो मुझ को तुम पाबन्दे सुन्नत या रसूलल्लाह

(वसाइले बख़्शिश)

सूट दरज़ी के पास से गुम हो जाए तो ?

सुवाल : अगर गाहक (Customer) का सूट दरज़ी से गुम हो जाए तो क्या उसे तावान (या'नी जुर्माना) देना पड़ेगा ?

जवाब : दरज़ी नेक व परहेज़ गार है तो उस पर ज़मान (या'नी तावान) वाजिब नहीं और अगर फ़ासिक़ है तो उस पर ज़मान वाजिब होगा और अगर उस की परहेज़ गारी के बारे में मा'लूम ही नहीं तो आधे सूट का तावान वाजिब होगा। चुनान्चे आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के फ़रमान का ख़ुलासा है : जम्हूर अइम्मए मुतअख़्ख़िरीन के नज़्दीक अगर अजीर नेक व परहेज़ गार है तो उस पर ज़मान न होगा और अगर फ़ासिक़ है या'नी नेक व परहेज़ गार नहीं तो उस पर ज़मान वाजिब होगा और अगर अजीर की परहेज़ गारी के बारे में मा'लूम नहीं तो निस्फ़ ज़मान वाजिब होगा और बाक़ी निस्फ़ साक़ित़ हो जाएगा (या'नी छोड़ दिया जाएगा)।[1]

गाहक दरज़ी से कपड़े लेने न आए तो ?

सुवाल : गाहक दरज़ी के पास सिलाई के लिये कपड़ा दे जाता है और फिर त़वील अ़र्से तक लेने के लिये नहीं आता, यूं ही बा'ज़ लोग

1..... फ़तावा रज़विय्या, 19/573 मुलख़्ख़सन

नाप के लिये दिये गए पुराने कपड़े वापस लेना भूल जाते हैं ऐसी सूरत में दरज़ी को क्या करना चाहिये ?

जवाब : दोनों सूरतों में जब तक उन कपड़ों का मालिक न आए, दरज़ी उन्हें हिफ़ाज़त के साथ अपने पास रखे कि येह कपड़े दरज़ी के पास वदीअ़त या'नी अमानत हैं और अमानत को हिफ़ाज़त के साथ रखना ज़रूरी होता है यहां तक कि उस का मालिक आ जाए। चुनान्चे सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : वदीअ़त रखने वाला ग़ाइब हो गया, मा'लूम नहीं ज़िन्दा है या मर गया तो वदीअ़त को महफ़ूज़ ही रखना होगा, जब मौत का इल्म हो जाए और वुरसा भी मा'लूम हैं, वुरसा को दे दे, मा'लूम न होने की सूरत में वदीअ़त को सदक़ा नहीं कर सकता और लुक़्ते में मालिक का पता न चले तो सदक़ा करने का हुक्म है।[1] लिहाज़ा मश्वरा येह है कि जिस से कपड़े लें तो उस का फ़ोन नम्बर और पता वग़ैरा भी नोट कर लें ताकि ताख़ीर की सूरत में पहुंचाए जा सकें।

जल्दी सूट सिलाई करने की उजरत ज़ियादा लेना ?

सुवाल : दरज़ियों की सिलाई के रेट उ़मूमन मुक़र्रर (Fixed) होते हैं लेकिन अगर कोई गाहक जल्दी (Urgent) बनवाना चाहे तो उस से तै शुदा रेट से ज़ाइद ले कर सूट बना देते हैं, उन का ऐसा करना कैसा है ?

1..... बहारे शरीअ़त, 3/38, हिस्सा : 14

जवाब : दरज़ियों का ज़ाइद रक़म ले कर जल्दी (Urgent) सूट बना कर देना जाइज़ है जब कि ज़ाइद रक़म और सूट सी कर देने का वक़्त दोनों तै हो जाएं और अगर दरज़ी ने मुक़र्ररा तारीख़ तक सी कर न दिया तो वोह ज़ाइद रक़म का मुस्तहिक़ न होगा बल्कि उस वक़्त सिलाई के जो आ़म रेट होंगे उन्ही का वोह मुस्तहिक़ होगा जैसा कि **बहारे शरीअ़त** में है : दरज़ी से कहा अगर आज सी कर दिया तो एक रुपिया और कल दिया तो आठ आने, उस ने आज ही सी कर दे दिया तो एक रुपिया देना होगा और दूसरे दिन देगा तो उजरते मिस्ल (या'नी वोह मज़दूरी जो उस काम के करने वाले को आ़म तौ़र पर दी जाती है वोह) वाजिब होगी जो आठ आने से ज़ियादा न होगी।[1]

अर्जेंट कपड़ों की वज्ह से दूसरों के कपड़े लेट करना

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात दरज़ी काम के दौरान किसी से ज़ियादा (Extra) पैसे ले कर उस के कपड़े जल्दी (Urgent) सी देते हैं जिस की वज्ह से दूसरे लोगों के कपड़े लेट हो जाते हैं। इस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हो सकती हैं : (1) दरज़ी ने अपने पास कुछ ज़ाइद कारीगर रखे हैं जो Urgent काम करते हैं जिस की वज्ह से तै शुदा कामों में ह़रज नहीं होता तो इस त़रह़ का Order लेने में ह़रज नहीं। (2) कारीगर तो ज़ाइद नहीं लेकिन दरज़ी के पास

1..... बहारे शरीअ़त, 3/163, हिस्सा : 14

इज़ाफ़ी काम की गुन्जाइश है तब भी इस त़रह़ का Order लेने में ह़रज नहीं (3) दरज़ी अपने कारीगरों से इज़ाफ़ी मुआ़वज़े पर ज़ाइद वक़्त तै़ कर के Urgent काम करा लेता है तब भी ह़रज नहीं (4) अगर येह सूरतें न हों तो फिर अख़्लाक़ी त़ौर पर ऐसा Order लेना ग़लत़ है, जो पहले आएं उन के सूट पहले सी कर दिये जाएं। हां जिस जिस तारीख़ का वा'दा है उस से लेट न होते हों तो बीच में जल्दी (Urgent) सी कर देने में भी ह़रज नहीं।[1] लिहाज़ा दरज़ी अर्जेंट ऑर्डर लेने में इस बात का ख़याल रखे कि जिन लोगों से मुक़र्ररा वक़्त पर सी कर देने का वा'दा कर रखा है और वक़्त पर सी कर देने की निय्यत भी थी तो इस में अर्जेंट ऑर्डर की वज्ह से ताख़ीर न होने पाए।

तै़ होने के बा वुजूद ज़बर दस्ती उजरत कम देना कैसा ?

सुवाल : सिलाई की उजरत तै़ होने के बा वुजूद सूट लेते वक़्त ज़बर दस्ती तै़ शुदा रक़म से कम देना कैसा है ?

जवाब : येह सरासर ज़ुल्मो ज़ियादती है और ऐसा करना ह़राम, ह़राम और सख़्त ह़राम है। इजारे के वक़्त जो उजरत तै़ हुई, काम के इख़्तिताम पर उस तै़ शुदा उजरत का अदा करना ज़रूरी है क्यूं कि येह अजीर का ह़क़ है और उस के ह़क़ में कमी करना उस की ह़क़ तलफ़ी है, ऐसा करने वाला क़हरे क़ह्हार व ग़ज़बे जब्बार का मुस्तह़िक़ है। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत

1..... फ़तावा अहले सुन्नत, ग़ैर मत़्बूआ़

मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की बारगाहे आ़ली में सुवाल हुवा कि "अगर कोई शख़्स किसी मज़दूर को बराए मज़दूरी सो कोस या पचास कोस के फ़ासिले पर ले जाए, बा'द अज़ां उस से चार पांच माह तक काम करा ले और बर वक़्त ह़िसाब के उस को तीस रुपै के काम के बीस रुपै और उस पर सख़्ती करे और उसे परेशान करे, जाइज़ है या ना जाइज़ ?" तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : ह़राम, ह़राम, ह़राम, कबीरा, कबीरा, कबीरा । **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं कि **अल्लाह** तबारक व तआ़ला फ़रमाता है : क़ियामत के दिन तीन शख़्सों का मैं मुद्दई होउंगा और जिस का मैं मुद्दई होउंगा मैं ही उसी पर ग़ालिब आऊंगा, **एक** वोह जिस ने मेरा अ़ह्द दिया फिर अ़ह्द शिकनी की । **दूसरा** वोह जिस ने किसी आज़ाद को ग़ुलाम बना कर बेच डाला और उस की क़ीमत खाई । **तीसरा** वोह जिस ने किसी शख़्स को मज़दूरी में ले कर अपना काम तो उस से पूरा करा लिया और मज़दूरी उसे पूरी न दी[1] ।[2]

लिहाज़ा इजारे के वक़्त जो उजरत तै़ पाई उस का अदा करना ज़रूरी है । अगर कोई तै़ शुदा रक़म से कम दे तो जितनी रक़म उस ने कम दी है उस पर लाज़िम है कि अजीर को दे और उस अजीर की जो दिल आज़ारी और बक़िय्या रक़म देने में ताख़ीर हुई इस पर उस से मुआ़फ़ी भी मांगे । ह़दीसे पाक में यहां तक

مدینہ

1 ..... مُسندِ امام احمد، مسند ابی ھریرۃ، ۳/۲۷۸، حدیث: ۸۷۰۰

2 ..... फ़तावा रज़विय्या, 19/454

ताकीद फ़रमाई गई कि "अजीर को उस की उजरत उस का पसीना ख़ुश्क होने से पहले दो।"[1]

"जो समझ में आए दे देना" कहना कैसा ?

सुवाल : दरज़ी का येह कहना कि "जो उजरत समझ में आए दे देना" कैसा है ?

जवाब : दरज़ी का येह कहना कि "जो उजरत समझ में आए दे देना" येह सरासर झगड़े वाला मुआ़मला है। कपड़े सिलाई करने के बा'द जो गाहक की समझ में आ रहा है अगर दरज़ी की समझ में न आया और तू तुकार से बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की नौबत आ गई तो फ़ैसले के लिये किस क़ाज़ी के पास जाएंगे ? झगड़ा न भी हो तो कम अज़ कम इतना ज़रूर होता है कि दुकान दार को अफ़्सोस रहता है कि मुझे मत़लूबा उजरत नहीं मिली लेकिन बेचारा मुरव्वत में ख़ामोश हो जाता है और गाहक को अफ़्सोस होता है कि शायद मैं ने ज़ियादा उजरत दे दी है। बिल आख़िर नतीजा येह होता है कि दोनों एक दूसरे से बदज़न हो जाते हैं। इन्ही वुजूहात की बिना पर शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने हमें काम शुरूअ़ करने से पहले उजरत या मज़दूरी त़ै करने का हुक्म दिया है। अगर उजरत पहले से त़ै न हो तो उजरत के मज्हूल (ना मा'लूम) होने की वज्ह से अ़क़्द फ़ासिद होगा और इस सूरत में उजरते मिस्ल या'नी उस काम करने की उ़मूमन जितनी उजरत दी जाती है उतनी उजरत देनी पड़ेगी जैसा कि **दुर्रे मुख़्तार** में है : अगर इजारा शै की जहालत (मा'लूम न होने) और अ़दमे ज़िक्र

[1] ابنِ ماجه، کتاب الرهون، باب اجر الاجراء، ۳/۱۶۲، حدیث: ۲۴۴۳ دار المعرفة بیروت

www.dawateislami.net

(या'नी ज़िक्र न करने) की वज्ह से फ़ासिद हो तो मनाफ़ेअ़ ह़ासिल करने पर मिस्ली उजरत लाज़िम होगी ख़्वाह जितनी भी हो।[1]

उजरत पूरी लेने के बा वुजूद नाक़िस माल लगाना

सुवाल : बा'ज़ दरज़ी ह़ज़रात उजरत पूरी लेने के बा वुजूद बुकरम वग़ैरा नाक़िस लगा देते हैं उन के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : कपड़ा लेते वक़्त जैसे तै़ हुवा था उस के मुत़ाबिक़ सी कर देना ज़रूरी है। अगर उन औसाफ़ के मुत़ाबिक़ सी कर न दिया तो इस सूरत में दरज़ी मुक़र्ररा उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं होगा मसलन किसी ने दरज़ी को कपड़ा देते वक़्त उ़म्दा और जय्यिद क़िस्म के कॉलर लगाने को कहा उस ने नाक़िस क़िस्म के कॉलर लगा दिये तो अब देखा जाएगा कि जो उस ने काम किया वोह बयान कर्दा औसाफ़ के मुत़ाबिक़ है या नहीं ? अगर बयान कर्दा औसाफ़ के मुत़ाबिक़ हो या उस के क़रीब क़रीब हो या'नी मा'मूली फ़र्क़ हो तो इस सूरत में दरज़ी अपनी तै़ शुदा उजरत का मुस्तह़िक़ होगा और अगर बयान कर्दा औसाफ़ के क़रीब क़रीब भी न हो तो इस सूरत में कपड़े के मालिक को इख़्तियार है कि या तो अपने कपड़े की क़ीमत ले या फिर अपना कपड़ा ले कर उस के सीने की उजरते मिस्ल दरज़ी को दे। चुनान्चे **फ़तावा हिन्दिय्या** में है : अगर किसी शख़्स ने मोज़ा बनाने वाले को चमड़ा दिया और कहा कि अपने पास से इस में उ़म्दा ना'ल लगा दे और उजरत मुक़र्रर कर दी अब अगर उस ने ग़ैर

مدینہ

1 ..... درمختار، کتاب الاجارۃ، ۹/۸۱

उ़म्दा ना'ल लगाए तो मालिक को इख़्तियार है कि चाहे तो अपने चमड़े की क़ीमत ले ले या मोज़े ले कर उस काम की उजरते मिस्ल और जो ज़ियादती हुई है वोह दे दे मगर उजरते मिस्ल तै़ शुदा उजरत (या'नी मज़दूरी) से ज़ियादा नहीं दी जाएगी।[1]

उजरत पूरी लेने के बा वुजूद नाक़िस मटेरियल लगाना धोकेबाज़ी के ज़ुम्रे में भी आता है और मुसल्मान की येह शान नहीं कि वोह चन्द रुपौं की ख़ातिर ऐसे फ़े'ल का इरतिकाब करे।

हाए ! ना फ़रमानियां, बदकारियां, बेबाकियां
आह ! नामे में गुनाहों की बड़ी भरमार है

(वसाइले बख़्शिश)

काम के दौरान अज़ान का जवाब देने का हुक्म

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात काम बहुत ज़ियादा होता है, ऐसी सूरत में अज़ान के वक़्त काम रोक दें या जारी रखें ?

जवाब : सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म है।[2] जब अज़ान हो तो इतनी देर के लिये सलाम कलाम और जवाबे सलाम, तमाम अश्ग़ाल मौक़ूफ़ कर दे यहां तक कि क़ुरआने मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आए तो तिलावत मौक़ूफ़ कर दे और

مدینہ

1..... فتاویٰ ھندیہ، کتاب الاجارۃ، الباب الحادی والثلاثون فی الاستصناع...الخ، ۴/۵۲۰

2..... बहारे शरीअ़त, 1/472, हिस्सा : 3

www.dawateislami.net

अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे। यूंही इक़ामत में।[1] दौराने अज़ान चलना, फिरना, कोई चीज़ उठाना, रखना, छोटे बच्चों से खेलना और इशारों में गुफ़्तगू करना वग़ैरा सब कुछ मौक़ूफ़ कर देना ही मुनासिब है। "रास्ते पर चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो बेहतर येह है कि उतनी देर खड़ा हो जाए चुपचाप सुने और जवाब दे।"[2] उ़लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने यहां तक फ़रमाया है कि अज़ान के दौरान कलाम करने से ईमान के सल्ब हो जाने का अन्देशा है।[3] नीज़ अज़ान शआ़इरे इस्लाम से है।[4] और शआ़इरे इस्लाम का अदब दिली तक़्वे की अ़लामत है। चुनान्चे ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾ (پ۱۷، الحج: ۳۲)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो **अल्लाह** के निशानों की ता'ज़ीम करे तो येह दिलों की परहेज़ गारी से है।

लिहाज़ा जब अज़ान हो रही हो तो उतनी देर के लिये काम बिल्कुल रोक दें और अज़ान का जवाब दें चाहे काम का कितना ही बोझ (Load) हो। इस में आप का नुक़्सान नहीं बल्कि फ़ाएदा ही फ़ाएदा है और वोह भी आख़िरत का। दुन्यवी मालो दौलत पर नज़र न रखिये बल्कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रह़मत से अज़ान के जवाब पर मिलने वाले अज्रो सवाब पर नज़र रखिये।

مدینہ

1..... बहारे शरीअ़त, 1/473, हिस्सा : 3

2..... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی فی الاذان، ۱/۵۷

3..... جامع الرموز، کتاب الصلاۃ، فصل فی الاذان، ۱/۱۲۴ باب المدینہ کراچی

4..... تبیین الحقائق معہ حاشیۃ الشیخ الشلبی، ۱/۲۴۰ دار الکتب العلمیۃ بیروت

अज़ान का जवाब देने की फ़ज़ीलत

सुवाल : अज़ान का जवाब देने की फ़ज़ीलत भी बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब : अज़ान का जवाब देने की फ़ज़ीलत पर मुश्तमिल एक रिवायत और एक हिकायत मुलाहज़ा कीजिये और रह़मते ख़ुदावन्दी पर झूमिये : चुनान्चे सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने ख़ुश्बूदार है : ऐ औ़रतो ! जब तुम बिलाल को अज़ान व इक़ामत कहते सुनो तो जिस त़रह़ वोह कहता है तुम भी कहो कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ तुम्हारे लिये हर कलिमे के बदले एक लाख नेकियां लिखेगा और एक हज़ार दरजात बुलन्द फ़रमाएगा और एक हज़ार गुनाह मिटाएगा। ख़वातीन ने येह सुन कर अ़र्ज़ की : येह तो औ़रतों के लिये है, मर्दों के लिये क्या है ? फ़रमाया : मर्दों के लिये दुगना।[1]

अज़ान का जवाब देने वाला जन्नती हो गया

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه फ़रमाते हैं कि एक साह़िब जिन का ब ज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नेक अ़मल न था, वोह फ़ौत हो गए तो **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان की मौजूदगी में फ़रमाया : क्या तुम्हें मा'लूम है कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया है। इस पर लोग मुतअ़ज्जिब हुए क्यूं कि ब ज़ाहिर उन का कोई बड़ा अ़मल न था चुनान्चे एक सह़ाबी رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه उन के घर गए और उन की बेवा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا से पूछा कि उन का कोई ख़ास

مدینہ

1 ..... کنز العمّال، کتاب الصلاۃ، آداب المؤذن، الجزء: ۷، ۴/۲۸۷، حدیث: ۲۱۰۰۵

अ़मल हमें बताइये तो उन्हों ने जवाब दिया : और तो कोई ख़ास बड़ा अ़मल मुझे मा'लूम नहीं, सिर्फ़ इतना जानती हूं कि दिन हो या रात, जब भी वोह अज़ान सुनते तो जवाब ज़रूर देते थे।[1]

काम के दौरान कुरआने मजीद पढ़ना या सुनना कैसा ?

सुवाल : काम के दौरान कुरआने करीम पढ़ या सुन सकते हैं या नहीं ?

जवाब : कुरआने मजीद की तिलावत करना और सुनना बहुत बड़ी सआ़दत है। ताहम कुरआने मजीद की तिलावत करने और सुनने के कुछ आदाब भी हैं जिन्हें बजा लाना ज़रूरी है। चुनान्चे पारह 9 **सूरतुल आ'राफ़** की आयत नम्बर 204 में इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और ख़ामोश रहो कि तुम पर रह़्म हो।

रही बात काम के दौरान तिलावत करने और सुनने की तो इस की दो सूरतें हैं : अगर अकेले काम कर रहे हैं तो काम के दौरान जब तक ज़ौक़ो शौक़ मुयस्सर है आप तिलावते कुरआन कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं इस में कोई ह़रज नहीं। हां ! अगर दिल इधर उधर बटने लगे तो मौक़ूफ़ कर दें कि इस सूरत में मक्रूह है। चुनान्चे सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى

مدینہ

1 ..... ابن عساکر، عطا بن قرۃ ابو قرۃ السلولی، ۴۰/ ۴۱۲-۴۱۳ دار الفکر بیروت

फ़रमाते हैं : लैट कर कुरआन पढ़ने में ह़रज नहीं जब कि पाउं सिमटे हों और मुंह खुला हो। यूंही चलने और काम करने की ह़ालत में भी तिलावत जाइज़ है जब कि दिल न बटे वरना मक्रूह है।[1]

और अगर ऐसी जगह है जहां और लोग भी काम करते हैं तो इस सूरत में वहां बुलन्द आवाज़ से पढ़ना जाइज़ नहीं कि येह आदाबे तिलावत के ख़िलाफ़ है। अगर वोह लोग नहीं सुनेंगे तो पढ़ने वाला गुनहगार होगा। दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ 1250 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब **बहारे शरीअ़त** जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 552 पर है : बाज़ारों में और जहां लोग काम में मश्ग़ूल हों बुलन्द आवाज़ से पढ़ना ना जाइज़ है, लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है।[2] अलबत्ता मोबाइल, टेप रेकॉर्डर या कम्पयूटर वग़ैरा के ज़रीए़ तिलावत सुनने का येह हुक्म नहीं मगर रेकॉर्ड तिलावत को भी अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सुनें।

दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत
रहूं बा वुज़ू मैं सदा या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

ख़्वातीन के लिये भारी काम वाले लिबास पहनना कैसा ?

सुवाल : बा'ज़ औ़रतें भारी (Heavy) कढ़ाई या काम वाले कुरते पहनती

1..... बहारे शरीअ़त, 1/551, ह़िस्सा : 3
2..... बहारे शरीअ़त, 1/552, ह़िस्सा : 3

हैं जिस से उन्हें मशक़्क़त भी होती है, इन का पहनना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : भारी कढ़ाई या काम वाले कुरते या लिबास से अगर पर्दे के शर्ई तक़ाज़े पूरे हो जाते हैं तो इन का पहनना जाइज़ है। सिर्फ़ भारी काम का होना वज्हे मुमानअ़त नहीं हो सकता जब तक कि कोई और शर्ई वज्ह न हो नीज़ भारी काम वाले लिबास पहनने पर औ़रतों को मजबूर नहीं किया जाता बल्कि वोह ख़ुद अपनी मरज़ी और शौक़ से पहनती हैं।

मर्दों के लिये ख़ालिस रेशम का इस्ति'माल करना कैसा ?

सुवाल : मर्दों के लिये ख़ालिस रेशम इस्ति'माल करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : याद रहे कि अस्ली रेशम (Pure Silk) और मस्नूई रेशम में बड़ा फ़र्क़ है, इस लिहाज़ से इन के हुक्म में भी फ़र्क़ है। अगर ख़ालिस सिल्क से मुराद अस्ली रेशम ही है तो बिला शुबा औ़रतों के लिये मुत़्लक़न (बिग़ैर किसी क़ैद के) जाइज़ है जब कि मर्दों के लिये चार उंगल की चौड़ाई से ज़ियादा ह़राम है और "अगर इस से मुराद मस्नूई रेशम है कि जिस के रेशे अगर्चे बनावट व चमक और नरमी व लत़ाफ़त में कितने ही बढ़ कर हों मर्दों के लिये ह़लाल होगा। अस्ली और नक़्ली रेशम की पहचान कपड़ा देख कर या उन का तार जला कर वाक़िफ़ीन के ज़रीए की जा सकती है।"[1] अब आ़म तौ़र पर रेशम के कपड़े इन्तिहाई कमयाब हैं।

1..... फ़तावा रज़विय्या, 22/194 माख़ूज़न

रेशम और सोना दोनों का इस्ति'माल मर्दों के लिये ह़राम है जैसा कि अ़लिय्युल मुर्तज़ा शेरे ख़ुदा كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم से रिवायत है कि मैं ने हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को देखा कि हुज़ूर ने अपने दाएं हाथ में रेशम और बाएं हाथ में सोना लिया फिर फ़रमाया : बेशक येह दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर ह़राम हैं ।[1] हां ! अगर ख़ालिस रेशमी कपड़ा न हो बल्कि रेशम की गोट लगी हो तो उस की चार उंगल तक मर्दों के लिये इजाज़त है जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه ने ख़ुत़्बे में इर्शाद फ़रमाया कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने रेशम की मुमानअ़त फ़रमाई है, मगर दो या तीन या चार उंग्लियों की बराबर या'नी किसी कपड़े में इतनी चौड़ी रेशम की गोट लगाई जा सकती है ।[2]

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : मर्दों के कपड़ों में रेशम की गोट चार उंगल तक की जाइज़ है इस से ज़ियादा ना जाइज़, या'नी उस की चौड़ाई चार उंगल तक हो, लम्बाई का शुमार नहीं । इसी त़रह़ अगर कपड़े का किनारा रेशम से बुना हो जैसा कि बा'ज़ इमामे या चादरों या तहबन्द के किनारे इस त़रह़ के होते हैं, इस का भी येही हुक्म है कि अगर चार उंगल तक का किनारा हो तो जाइज़ है वरना ना जाइज़ ।[3]

---

1 ..... ابو داود، کتاب اللباس، باب فی الحریر للنساء، ۴/۷۱، حدیث: ۴۰۵۷

2 ..... مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم لبس الحریر وغیر ذلک... الخ، ص ۸۸۵، حدیث: ۵۴۱۷

3 ..... ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحة، فصل فی اللبس، ۹/۵۸۰

www.dawateislami.net

या'नी जब कि उस किनारे की बनावट भी रेशम की हो और अगर सूत की बनावट हो तो चार उंगल से ज़ियादा भी जाइज़ है।[1]

बद निगाही से बचने का त़रीक़ा

सुवाल : ज़नाना सिलाई (Ladies Tailoring) का काम करने वाले अपने आप को बद निगाही से कैसे बचा सकते हैं ?

जवाब : फ़ी ज़माना अपने आप को बद निगाही से बचाना बहुत मुश्किल है, बिल ख़ुसूस ज़नाना सिलाई (Ladies Tailoring) का काम करने वाले तो शायद ही अपने आप को बद निगाही और दीगर गुनाहों से बचा सकें क्यूं कि उन्हें लेडीज़ का नाप लेने के लिये देखने के साथ साथ छूना भी पड़ता है तो यूं उन के लिये ज़ियादा आज़्माइश है। बहर ह़ाल ज़नाना सिलाई (Ladies Tailoring) का काम करने वाले हों या कोई और हर एक के लिये अपनी निगाह की ह़िफ़ाज़त करते हुए बद निगाही से बचना ज़रूरी है लिहाज़ा हर एक को हुक्मे क़ुरआनी पर अ़मल करते हुए अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिएं जैसा कि इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

(پ۱۸، النور: ۳۰)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें।

ह़दीसे क़ुदसी में है, **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ इर्शाद फ़रमाता है : नज़र इब्लीस के तीरों में से एक ज़ह्र में बुझा हुवा तीर है पस जो शख़्स मेरे ख़ौफ़ से इसे तर्क कर दे तो मैं उसे ऐसा ईमान अ़ता करूंगा

مدینہ

1..... बहारे शरीअ़त, 3/411, ह़िस्सा : 16

जिस की मिठास वोह अपने दिल में पाएगा।[1] ह़ज़रते अ़ल्लामा अबुल फ़रज अ़ब्दुर्रह़मान बिन जौज़ी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى नक़्ल करते हैं : औ़रत के मह़ासिन (या'नी ह़ुस्नो जमाल) को देखना इब्लीस के ज़ह्र में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है, जिस ने ना मह़रम से आंख की ह़िफ़ाज़त न की उस की आंख में बरोज़े क़ियामत आग की सलाई फेरी जाएगी।[2]

मैं नीची निगाहें रखूं काश अक्सर

अ़त़ा कर दे शर्मो ह़या या इलाही

(वसाइले बख़्शिश)

ज़नाना सिलाई करने वालों के लिये बद निगाही से बचने की येह सूरत हो सकती है कि येह ख़ुद नाप लेने के बजाए सिले हुए कपड़ों से नाप की तरकीब बनाएं या फिर अपने घर की किसी इस्लामी बहन के ज़रीए़ नाप ले लिया करें। अपने आप को बद निगाही से बचाने, आंखों का क़ुफ़्ले मदीना लगाने, गुनाहों से पीछा छुड़ाने और नेकियों का ह़रीस बनाने का एक बेहतरीन ज़रीआ़ आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल के साथ वाबस्ता होना भी है। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ मदनी माह़ोल की बरकत से न जाने कितनों की ज़िन्दगियों में मदनी इन्क़िलाब बरपा हो गया और वोह गुनाहों के घटाटोप अंधेरों से निकल कर नेकियों की शाहराह पर गामज़न हो चुके हैं आप की तरग़ीब व तह़रीस के लिये एक दरज़ी इस्लामी भाई की मदनी बहार पेशे ख़िदमत है :

---

1 ..... معجم کبیر، ۱۰/۱۷۳، حدیث: ۱۰۳۶۲ دار احیاء التراث العربی بیروت

2 ..... بحرُ الدُّموع، الفصل السابع والعشرون موبقات الزنی وعواقبه، ص ۱۷۱ مکتبه دار الفجر دمشق

www.dawateislami.net

ग़ाफ़िल दरज़ी की तौबा

एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है : मैं जिन दिनों दरज़ी का काम करता था, मेरा किरदार مَعَاذَاللہ इन्तिहाई ख़राब था, नमाज़ की बिल्कुल तौफ़ीक़ न थी, लड़ाई भिड़ाई तक़रीबन रोज़मर्रा का मा'मूल था, झूट, ग़ीबत, वा'दा ख़िलाफ़ी, गुस्सा, गालम गलोच, चोरी, बद निगाही, फ़िल्में ड्रामे देखना, गाने बाजे सुनना, राह चलती लड़कियों को छेड़ख़ानी करना, मां बाप को सताना, अल ग़रज़ वोह कौन सी बुराई थी जो मुझ में न थी। मेरी बद आ'मालियों से तंग आ कर मेरे घर वालों ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया। मैं ने वहां एक कारख़ाने में मुलाज़मत इख़्तियार कर ली, वहां लड़कियां भी काम करती थीं, इस लिये मेरी आ़दतें मज़ीद बिगड़ गईं। मैं इस क़दर बुरा बन्दा था कि कभी कभी तो खुद अपने आप से घिन आती थी। एक रोज़ मुझे पता चला कि यहां मेरे मामूंज़ाद भाई दा'वते इस्लामी के जामिअ़तुल मदीना में दर्से निज़ामी कर रहे हैं। मैं उन से मिलने पहुंचा तो वोह इन्तिहाई पुर तपाक त़रीक़े से मुझ से मिले, उन्हों ने इन्फ़िरादी कोशिश करते हुए मुझे दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ की दा'वत पेश की जो मैं ने क़बूल कर ली। जब मैं इज्तिमाअ़ में ह़ाज़िर हुवा तो वहां मुझे किसी ने मक्तबतुल मदीना के मत़्बूआ़ रसाइल "बुढ्ढा पुजारी" और "कफ़न चोरों के इन्किशाफ़ात" तोह़फ़े में दिये। **मैं** ने क़ियाम गाह पर आ कर जब वोह पढ़े तो पहली बार एह़सास

हुवा कि मैं अपनी ज़िन्दगी बरबाद कर रहा हूं। मैं ने उसी वक़्त गुनाहों से तौबा की और पन्ज वक़्ता बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने की निय्यत कर ली और हर जुमे'रात पाबन्दी के साथ आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के मदनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में शिर्कत करने लगा और सिल्सिलए आ़लिया, क़ादिरिय्या, रज़विय्या, अ़त्तारिय्या में भी दाख़िल हो गया। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की बरकत से मेरी ज़िन्दगी में मदनी इन्क़िलाब बरपा हो गया। मामूंज़ाद भाई की इन्फ़िरादी कोशिश की बरकत से मदनी क़ाफ़िले में सफ़र की भी सआ़दत ह़ासिल हुई। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत की बरकत से मैं दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल से वाबस्ता हो गया और ता दमे बयान जामिअ़तुल मदीना में दर्से निज़ामी (या'नी आ़लिम कोर्स) के दरजए सानिया का त़ालिबे इ़ल्म हूं। **अल्लाह** तआ़ला मेरी मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी को हमेशा नज़रे बद से मह़फ़ूज़ रखे कि इस की बरकत से मुझ जैसा बद किरदार शख़्स भी इ़ज़्ज़तो आबरू के साथ इ़ल्मे दीन ह़ासिल करने में मश्ग़ूल हो गया।

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! ऐसा दरज़ी जो फ़ेक्टरी में सिलाई का काम करता था और गुनाहों से लतपत था लेकिन जब आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल से वाबस्ता हुवा तो इस मदनी माह़ोल की बरकत से उसे गुनाहों से तौबा करने और नेकियां करने की तौफ़ीक़ मिल गई और उस ने दर्से निज़ामी या'नी आ़लिम कोर्स

शुरूअ़ कर दिया और दरजए सानिया तक पहुंच गया। आप भी हिम्मत कीजिये और दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल के साथ वाबस्ता हो जाइये।

ऐ बीमारे इस्यां तू आ जा यहां पर

गुनाहों की देगा दवा मदनी माहोल

(वसाइले बख़्शिश)

काम के बोझ की वज्ह से तरावीह़ तर्क करना कैसा ?

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात दरज़ी काम की ज़ियादती का उ़ज़्र कर के तरावीह़ छोड़ देते हैं उन का ऐसा करना कैसा है ?

जवाब : तरावीह़ सुन्नते मुअक्कदा है, इस का तर्क जाइज़ नहीं। चुनान्चे दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ 1250 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, "बहारे शरीअ़त" जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 688 पर है : "तरावीह़ मर्द व औ़रत सब के लिये बिल इज्माअ़ सुन्नते मुअक्कदा है इस का तर्क जाइज़ नहीं। इस पर ख़ुलफ़ाए राशिदीन رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن ने मुदावमत फ़रमाई और नबी صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नते ख़ुलफ़ाए राशिदीन को अपने ऊपर लाज़िम समझो और ख़ुद हुज़ूर صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने भी तरावीह़ पढ़ी और इसे बहुत पसन्द फ़रमाया।"

तरावीह़ की अहम्मिय्यत का यूं भी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि क़ज़ा नमाज़ों की अदाएगी के लिये आ़म नवाफ़िल तो

तर्क किये जा सकते हैं लेकिन तरावीह़ को नहीं छोड़ा जाएगा चे जाए कि किसी दुन्यवी काम के सबब इसे तर्क कर दिया जाए। चुनान्चे **बहारे शरीअ़त** में है : क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं या'नी जिस वक़्त नफ़्ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उन के बदले क़ज़ाएं पढ़े कि बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाए अलबत्ता तरावीह़ और बारह रक्अ़तें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े।[1] अगर सत्ताईसवीं को (या इस से क़ब्ल) क़ुरआने पाक ख़त्म हो गया तब भी आख़िर रमज़ान तक तरावीह़ पढ़ते रहें कि सुन्नते मुअक्कदा है।[2]

तरावीह़ पढ़ने वालों की ख़ुश नसीबी

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! तरावीह़ इस क़दर प्यारी इ़बादत है कि इसे जहां मोमिनीन अदा करते हैं वहां मलाइकए अ़र्श भी इस में ह़ाज़िर होते हैं। चुनान्चे मन्क़ूल है कि **अल्लाह** पाक के अ़र्श के गिर्द "ह़ज़ीरतुल क़ुद्स" नामी एक जगह है जो कि नूर की है, उस में इतने फ़िरिश्ते हैं कि जिन की ता'दाद **अल्लाह** पाक ही जानता है, वोह **अल्लाह** पाक की इ़बादत करते हैं और एक लम्ह़ा भी ग़ाफ़िल नहीं होते, जब रमज़ान की रातें आती हैं तो वोह अपने रब عَزَّوَجَلَّ से ज़मीन पर उतरने की इजाज़त त़लब करते हैं और प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत के साथ नमाज़े तरावीह़ में ह़ाज़िर होते हैं, अगर कोई उन को छूए या वोह उस को मस करें तो वोह ऐसा सआ़दत मन्द हो जाएगा

مدینہ

1..... बहारे शरीअ़त, 1/706, हिस्सा : 4

2..... فتاویٰ ھندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب التاسع فی النوافل، ۱/۱۱۸

www.dawateislami.net

कि इस के बा'द कभी बद बख़्त न होगा। अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने जब येह ह़दीस सुनी तो इर्शाद फ़रमाया : हम इस फ़ज़्ल व अज्र के ज़ियादा ह़क़दार हैं। चुनान्चे आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने माहे रमज़ान में लोगों को नमाज़े तरावीह़ के लिये जम्अ़ फ़रमाया।[1] तरावीह़ में चूंकि क़ुरआने मजीद सुना जाता है और क़ुरआने करीम अपने सुनने वाले की क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करेगा चुनान्चे

रोज़ा और क़ुरआन क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करेंगे

मदीने के सुल्त़ान, रह़मते आ़लमिय्यान صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने फ़रह़त निशान है : रोज़ा और क़ुरआन बन्दे के लिये क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करेंगे। रोज़ा अ़र्ज़ करेगा : ऐ रब्बे करीम عَزَّوَجَلَّ ! मैं ने खाने और ख़्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफ़ाअ़त इस के ह़क़ में क़बूल फ़रमा। क़ुरआन कहेगा : मैं ने इसे रात में सोने से बाज़ रखा, मेरी शफ़ाअ़त इस के लिये क़बूल कर। पस दोनों की शफ़ाअ़तें क़बूल होंगी।[2]

इस ह़दीसे पाक के तह़्त मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الْمَنَّان फ़रमाते हैं : या'नी रोज़ा इफ़्त़ार कर के इस की त़बीअ़त आराम की त़रफ़ माइल होती थी, हाथ पाउं में सुस्ती फैल जाती थी कि नमाज़े इ़शा की

مدینہ

1 ..... الروض الفائق، المجلس الخامس فی فضل شهر رمضان و صیامه، ص ۴۱

2 ..... مُسندِ امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ۲/۵۸۶، حدیث: ۶۶۳۷

अज़ान की आवाज़ सुनते ही तरावीह़ में मुझे (कुरआन को) सुनने आ जाता था लिहाज़ा यहां तरावीह़ पढ़ने वाले मुराद हैं, तहज्जुद वाले ही मुराद नहीं क्यूं कि तहज्जुद तो साल भर पढ़ी जाती है यहां ख़ुसूसिय्यत से रमज़ान का ज़िक्र है ।[1]

इ़बादत में लगता नहीं दिल हमारा

हैं इ़स्यां में बद मस्त हम या इ़लाही

(वसाइले बख़्शिश)

नमाज़े तरावीह़ को जमाअ़त से अदा करने का हुक्म

सुवाल : क्या नमाज़े तरावीह़ बा जमाअ़त अदा करना हर एक के लिये सुन्नते मुअक्कदा है ?

जवाब : तरावीह़ की जमाअ़त सुन्नते मुअक्कदा अ़लल किफ़ाया है या'नी अगर चन्द लोगों ने जमाअ़त के साथ अदा कर ली तो सब की त़रफ़ से सुन्नत अदा हो गई अलबत्ता बिग़ैर शर्ई मजबूरी के तरावीह़ की जमाअ़त को तर्क नहीं करना चाहिये कि फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : तरावीह़ की जमाअ़त सुन्नते मुअक्कदा अ़लल किफ़ाया है । अगर मस्जिद के सारे लोगों ने छोड़ दी तो सब इसाअत के मुर्तकिब हुए (या'नी बुरा किया) और अगर चन्द अफ़राद ने बा जमाअ़त पढ़ ली तो तन्हा पढ़ने वाला जमाअ़त की फ़ज़ीलत से मह़रूम रहा ।[2]

مدینہ

1..... मिरआतुल मनाजीह़, 3/139

2..... ھدایۃ، کتاب الصلوۃ، باب النوافل، ۱/۷۰ دار احیاء التراث العربی بیروت

ग़ैर शर्ई लिबास सीना कैसा ?

सुवाल : ग़ैर शर्ई लिबास सीना कैसा है ?

जवाब : ग़ैर शर्ई लिबास का सीना मक्रूह है क्यूं कि येह मा'सियत पर मदद करना है और मुसल्मानों को नेकी व परहेज़ गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया गया है न कि गुनाह के कामों में जैसा कि ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪

(پ٦، المائدة: ٢)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और नेकी और परहेज़ गारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो।

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं कि उ़लमा फ़रमाते हैं : अगर कोई शख़्स फ़ासिक़ाना वज़्अ़ के कपड़े या जूते सिलवाए (जैसे हमारे ज़माने में नेचरी वरदी) तो दरज़ी और मोची को उन का सीना मक्रूह है कि येह मा'सियत पर इआ़नत है इस से साबित हुवा कि फ़ासिक़ाना तराश के कपड़े या जूते पहनना गुनाह है।[1] लिहाज़ा दरज़ियों को इस हुक्मे शर्ई पर अ़मल करते हुए नेकी और परहेज़ गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिये और ग़ैर शर्ई लिबास सी कर गुनाह के कामों में मदद देने से इज्तिनाब करना चाहिये।

مدینہ

1..... फ़तावा रज़विय्या, 22/137

www.dawateislami.net

चश्मे करम हो ऐसी कि मिट जाए हर ख़ता
कोई गुनाह मुझ से न शैतां करा सके

(वसाइले बख़्शिश)

लिबास कैसा होना चाहिये ?

सुवाल : लिबास कैसा होना चाहिये ?

जवाब : लिबास **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की एक अ़ज़ीम ने'मत है जिस के ज़रीए़ सर्दी और गर्मी के असरात से अपने आप को मह़फ़ूज़ किया जाता है। लिबास जहां सत्र पोशी का फ़ाएदा देता है वहीं येह ज़ीनत का सबब भी है। चुनान्चे ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ

(پ۸،الاعراف:۲۶)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ आदम की औलाद बेशक हम ने तुम्हारी त़रफ़ एक लिबास वोह उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाए और एक वोह कि तुम्हारी आराइश हो और परहेज़ गारी का लिबास वोह सब से भला।

लिबास इन्सान की ज़रूरत है इसे हर एक पहनता है नीज़ हर क़ौम का लिबास जुदा जुदा होता है तो मुसल्मान का लिबास भी सब से मुमताज़ होना चाहिये मगर अफ़्सोस ! सद करोड़ अफ़्सोस ! आज मुसल्मान अग़्यार के फ़ेशन के मुत़ाबिक़ चलने में फ़ख़्र महसूस करता है, अंग्रेज़ों की त़रह़ नंगे सर, उन्हीं की त़रह़ दाढ़ी मूंछ साफ़, उन्हीं की त़रह़ पतलून के अन्दर क़मीस, गले में कॉलर बल्कि مَعَاذَاللّٰه टाई (फन्दा) डालने में अपनी

इ़ज़्ज़त तसव्वुर करता है गोया कि अंग्रेज़ी लिबास में मल्बूस रहना ही इस के नज़्दीक ऐन सआ़दत है बल्कि अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि सुन्नत के मुत़ाबिक़ लिबास और इस्लामी वज़्अ़ क़त़्अ़ बा'ज़ नाम निहाद मुसल्मानों को एक आंख नहीं भाती।

अच्छों की नक़्ल की बदौलत नजात मिल गई

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ग़ैरों की नक़्क़ाली से मुंह मोड़ते हुए अपने प्यारे आक़ा, मक्की मदनी मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की प्यारी प्यारी सुन्नतों से अपना रिश्ता जोड़ लीजिये कि अच्छों की नक़्ल अच्छी और बुरों की नक़्ल बुरी होती है। चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा अ़ली क़ारी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَارِى फ़रमाते हैं : जो शख़्स कुफ़्फ़ार, फ़ुस्साक़ और फ़ुज्जार के साथ लिबास वग़ैरा में मुशाबहत करे वोह गुनाह में उन्ही की मिस्ल है और जो शख़्स नेकोकारों की मुशाबहत इख़्तियार करे वोह भलाई में उन्ही की मिस्ल है। मन्क़ूल है कि "जब **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने फ़िरऔ़न और उस की क़ौम को ग़र्क़ किया तो उन का वोह बहरूपिया बच गया जो ह़ज़रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के साथ लिबास और बोलचाल में नक़्ल किया करता था। फ़िरऔ़न और उस की क़ौम उस की इन ह़रकातो सकनात से हंसा करते थे। ह़ज़रते सय्यिदुना मूसा عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने बारगाहे इलाही में अ़र्ज़ की : ऐ मेरे रब عَزَّوَجَلَّ ! येह तो दूसरे फ़िरऔ़नियों के मुक़ाबले में मुझे

ज़ियादा अज़िय्यत देता था ! **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने इर्शाद फ़रमाया : हम ने इसे इस लिये ग़र्क़ नहीं किया कि इस ने तुम्हारे जैसा लिबास पहना हुवा है और हम महबूब की सी सूरत इख़्तियार करने वाले को भी अ़ज़ाब नहीं देते ।" ग़ौर कीजिये कि जिस ने बातिल त़रीक़े से अहले ह़क़ के साथ मुशाबहत इख़्तियार की तो उसे नजात मिल गई और वोह ग़र्क़ होने से बच गया तो उस का क्या आ़लम होगा जो ता'ज़ीमो तक्रीम की निय्यत से अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام और औलियाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام के साथ मुशाबहत इख़्तियार करेगा ।[1]

बहर ह़ाल सुन्नत के मुत़ाबिक़ सफ़ेद लिबास पहना जाए कि "आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का मुबारक लिबास अक्सर सफ़ेद कपड़े का होता था ।"[2] ह़दीसे पाक में सफ़ेद लिबास पहनने की तरग़ीब भी इर्शाद फ़रमाई गई है। चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना समुरह رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : सफ़ेद लिबास पहनो क्यूं कि येह ज़ियादा साफ़ और पाकीज़ा है और अपने मुर्दों को भी इसी में कफ़्नाओ ।[3] सुन्नत (त़रीक़ों में से एक त़रीक़ा) येह (भी) है कि दामन की लम्बाई आधी पिंडली तक हो और आस्तीन की लम्बाई ज़ियादा से ज़ियादा उंगलियों के पोरों तक और चौड़ाई एक बालिश्त हो ।[4]

مدینہ

1 ..... مرقاۃُ المفاتیح، ۸/۱۵۵، تحت الحدیث: ۴۳۴۷ ملتقطاً دار الفکر بیروت

2 ..... کَشْفُ الْاِلْتِبَاس فِی اِسْتِحْبَابِ اللِّبَاس، ص۳۶ دار احیاء العلوم باب المدینہ کراچی

3 ..... ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی لبس البیاض، ۴/۳۷۰، حدیث: ۲۸۱۹

4 ..... رَدُّ الْمُحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ۹/۵۷۹

www.dawateislami.net

जन्नतियों का लिबास कैसा होगा ?

सुवाल : किस रंग के कपड़े पहनने चाहिएं ? नीज़ जन्नतियों का लिबास कैसा होगा ?

जवाब : सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : कुसुम या ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा कपड़ा पहनना मर्द को मन्अ़ है गहरा रंग हो कि सुर्ख़ हो जाए या हलका हो कि ज़र्द रहे दोनों का एक हुक्म है। औ़रतों को येह दोनों क़िस्म के रंग जाइज़ हैं, इन दोनों रंगों के सिवा बाक़ी हर क़िस्म के रंग ज़र्द, सुर्ख़, धानी, बसन्ती, चम्पई, नारन्जी वग़ैरहा मर्दों को भी जाइज़ हैं। अगर्चे बेहतर येह है कि सुर्ख़ रंग या शोख़ रंग के कपड़े मर्द न पहने, ख़ुसूसन जिन रंगों में ज़नाना पन हो मर्द उस को बिल्कुल न पहने और येह मुमानअ़त रंग की वज्ह से नहीं बल्कि औ़रतों से तशब्बोह होता है इस वज्ह से मुमानअ़त है लिहाज़ा अगर येह इ़ल्लत न हो तो मुमानअ़त भी न होगी, मसलन बा'ज़ रंग इस क़िस्म के हैं कि इ़मामा रंगा जा सकता है और कुरता पाजामा उसी रंग से रंगा जाए या चादर रंग कर ओढ़ें तो उस में ज़नाना पन ज़ाहिर होता है तो इ़मामे को जाइज़ कहा जाएगा और दूसरे कपड़ों को मक्रूह।[1] रही बात जन्नतियों के लिबास की तो

1..... बहारे शरीअ़त, 3/416, ह़िस्सा : 16

कुरआनो ह़दीस में जन्नतियों के सब्ज़ लिबास होने का ज़िक्र है चुनान्चे इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ (پ۱۵، الکھف:۳۱)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह उस में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज़ कपड़े करेब (रेशम के बारीक) और क़नादीज़ (मोटे) के पहनेंगे।

इसी त़रह़ पारह 29 **सूरतुद्दह्र** की आयत नम्बर 21 में इर्शाद होता है :

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन के बदन पर हैं करेब के सब्ज़ कपड़े और क़नादीज़ के।

ह़दीसे पाक में भी जन्नतियों के सब्ज़ लिबास होने का ज़िक्र है चुनान्चे नबिय्ये रह़मत صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है : कोई भी मुसल्मान शख़्स किसी भी मुसल्मान को नंगे होने की वज्ह से कपड़ा पहनाएगा तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उसे जन्नत के सब्ज़ लिबास पहनाएगा।[1] ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा मुह़म्मद बिन अ़ल्लान शाफ़ेई عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : सब्ज़ रंग की शराफ़त के लिये येही काफ़ी है कि येह जन्नतियों का लिबास है।[2] मा'लूम हुवा कि जन्नतियों का लिबास सब्ज़ होगा।

مدینہ

1 ..... ابوداود، کتاب الزکاۃ، باب فی فضل سقی الماء، ۲ / ۱۸۰، حدیث: ۱۶۸۲

2 ..... دلیل الفالحین، ۳/ ۲۶۲ دار المعرفۃ بیروت

फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़हा
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	2
दरज़ी की मुआ़शरती अहम्मिय्यत	2
लिबास के ज़रीए़ सत्र पोशी की इब्तिदा	3
"आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने ना फ़रमानी की" कहना कैसा ?	5
आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام गन्दुम न खाते तो.....?	6
आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को क़ुरबानी का बकरा कहना कैसा ?	7
कपड़ों की सिलाई की इब्तिदा	7
दरज़ी का पेशा इख़्तियार करना कैसा ?	8
दरज़ी किसे कहेंगे ?	10
दरज़ी का तज़्किरा	11
दरज़ी पेशा के बारे में अच्छी अच्छी निय्यतें	12
मंगल के दिन सीने के लिये कपड़े काटना कैसा ?	14
दुकानों में चेहरे वाली डमी लगाना कैसा ?	15
काम की टेन्शन की वज्ह से नमाज़ रोज़ा तर्क करना कैसा ?	16
नमाज़ रोज़ा किसी सूरत भी तर्क न कीजिये	18
सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का नमाज़ का एहतिमाम	20
हमारे बच्चे कहां से खाएंगे ?	21
मर्दों के लिये औ़रतों का नाप लेना कैसा ?	23
एक दरज़ी का दूसरे की ख़ामियां बयान करना कैसा ?	25
ग़ीबत के मुख़्तलिफ़ रास्ते	27
भाव कम करवाना सुन्नत है	28
रसीद पर लिखी हुई तह़रीर का हुक्म	30
बोरियत दूर करने के लिये गाने सुनना कैसा ?	32
कपड़े के बचे हुए टुकड़े इस्ति'माल में लाना	35
कपड़ा बचा कर उजरत की कमी पूरी करना कैसा ?	37
ज़ाती नुक़्सान बरदाश्त है मगर किसी और का नुक़्सान गवारा नहीं	38
क़मीस में धाती बटन लगाना और गले में इन्ची टेप लटकाना कैसा ?	39
ख़ाली क़ैंची चलाने से घर में लड़ाई होने की ह़क़ीक़त	40
पेशगी ली गई रक़म इस्ति'माल में लाना कैसा ?	42

तसावीर वाले लिबास पहनना कैसा ?	42
ताख़ीर की सूरत में गाहक को कैसे मुत़मइन करें ?	43
गाहक से किया गया वा'दा पूरा न करने के बारे में हुक्म	45
ब्रोकर को कमीशन देने की जाइज़ सूरत	47
गाहक को बताए बिग़ैर उजरत वुसूल कर लेना	49
ग़ैर मे'यारी कपड़े तय्यार करने में तावान की सूरत	50
मज़ाक़ करने वाले दरज़ी के लिये भी दुआए ख़ैर	52
सूट दरज़ी के पास से गुम हो जाए तो ?	54
गाहक दरज़ी से कपड़े लेने न आए तो ?	54
जल्दी सूट सिलाई करने की उजरत ज़ियादा लेना ?	55
अर्जेंट कपड़ों की वज्ह से दूसरों के कपड़े लेट करना	56
तै होने के बा वुजूद ज़बर दस्ती उजरत कम देना कैसा ?	57
"जो समझ में आए दे देना" कहना कैसा ?	59
उजरत पूरी लेने के बा वुजूद नाक़िस माल लगाना	60
काम के दौरान अज़ान का जवाब देने का हुक्म	61
अज़ान का जवाब देने की फ़ज़ीलत	63
अज़ान का जवाब देने वाला जन्नती हो गया	63
काम के दौरान क़ुरआने मजीद पढ़ना या सुनना कैसा ?	64
ख़वातीन के लिये भारी काम वाले लिबास पहनना कैसा ?	65
मर्दों के लिये ख़ालिस रेशम का इस्ति'माल करना कैसा ?	66
बद निगाही से बचने का त़रीक़ा	68
ग़ाफ़िल दरज़ी की तौबा	70
काम के बोझ की वज्ह से तरावीह़ तर्क करना कैसा ?	72
तरावीह़ पढ़ने वालों की ख़ुश नसीबी	73
रोज़ा और क़ुरआन क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करेंगे	74
नमाज़े तरावीह़ को जमाअ़त से अदा करने का हुक्म	75
ग़ैर शर्ई लिबास सीना कैसा ?	76
लिबास कैसा होना चाहिये ?	77
अच्छों की नक़्ल की बदौलत नजात मिल गई	78
जन्नतियों का लिबास कैसा होगा ?	80

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुमे'रात बा'द नमाज़े इशा आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ۞ सुन्नतों की तरबियत के लिये **मदनी क़ाफ़िले** में आशिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ۞ रोज़ाना **"फ़िक्रे मदीना"** के ज़रीए **मदनी इन्आमात** का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा मदनी मक़्सद : "मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ " अपनी इस्लाह के लिये **"मदनी इन्आमात"** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये **"मदनी क़ाफ़िलों"** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

M.R.P. ₹ 00/-

Maktabatul Madina

Mohammad Ali Road, Mandvi Post Office, Mumbai 9022177997, 9320558372

Faizane Madina, Teen Koniya Bagicha, Mirzapur, Ahmedabad 9327168200

421, Urdu Market, Matia Mahal, Near: Noor Guest House, Jama Masjid, Delhi

011-23284560, 8178862570 For Home Delivery: 9978626025 *T&C Apply

feedbackmmhind@gmail.com www.dawateislamihind.net